UPJB010003872019

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–प्रथम, अमरोहा।

पीठासीनः– श्री शाकिर हसन, (एच0जे0एस0)

{JO CODE-UP2416}

सत्र परीक्षण संख्या–29/2019

उत्तर प्रदेश राज्य .... **अभियोजन**

बनाम

1–माहिर हुसैन पुत्र साबिर निवासी ब्रहमपुरी थाना नूरपुर जिला बिजनौर।

2–धीर सिंह उर्फ धीरा पुत्र काशीराम निवासी ग्राम मजरा पतई खालसा थाना डिडौली जिला अमरोहा।

3–फुरकान पुत्र मौ0 यामीन निवासी ग्राम श्यामपुर थाना डिडौली जिला अमरोहा।

.... **अभियुक्तगण**

अपराध संख्या 745 सन 2018
धारा 307,413,414,420,467,468,471 भा0दं0सं0
थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा।

एवं

UPJB010003892019

सत्र परीक्षण संख्या–30/2019

उत्तर प्रदेश राज्य .... **अभियोजन**

बनाम

1–धीर सिंह उर्फ धीरा पुत्र काशीराम निवासी ग्राम मजरा पतई खालसा थाना डिडौली जिला अमरोहा।

.... **अभियुक्त**

अपराध संख्या 746 सन 2018
धारा 3/25 आयुध अधिनियम
थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा।

JOCODE-UP 2416

Digitally signed by SHAKIR HASAN
Date: 2026.06.30 16:51:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एवं

UPJB010003912019

सत्र परीक्षण संख्या–31/2019

उत्तर प्रदेश राज्य .... **अभियोजन**

बनाम

1–फुरकान पुत्र मौ0 यामीन निवासी ग्राम श्यामपुर थाना डिडौली जिला अमरोहा।

.........अभियुक्त

अपराध संख्या 747 सन 2018
धारा 3/25 आयुध अधिनियम
थाना अमरोहा नगर, जिला अमरोहा।

निर्णय

1– अ0सं0 29/2019 में धारा–307,413,414,420,467,468,471 भा0द0सं0 में अभियुक्तगण माहिर, धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान के विरूद्व थाना अमरोहा नगर की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर, अ0सं0 446/2018 में धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 में अभियुक्त धीर सिंह उर्फ धीरा के विरूद्व थाना अमरोहा नगर की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप–पत्र के आधार पर एवं अ0सं0 447 सन 2018 में धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्त फुरकान के विरूद्व थाना अमरोहा नगर की पुलिस द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरोहा द्वारा दिनांक 25.01.2019 को की गयी सत्र सुपुर्दगी के आधार पर क्रमशः सत्र परीक्षण सं0 29 सन 2019, सत्र परीक्षण सं0 30 सन 2019 एवं सत्र परीक्षण संख्या 31 सन 2019 के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा विचारण किया गया है।

2– उक्त उपरोक्त तीनों सत्र परीक्षण एक ही घटनाक्रम से सम्बन्धित होने के कारण उपरोक्त तीनों सत्र परीक्षण का निर्णय एक ही साथ किया जा रहा है।

3– इस सत्र विचारणीय मामले के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि फर्द बरामदगी के आधार पर थाना अमरोहा नगर पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 04.12.2018 को वादी मुकदमा S.H.O नवाब सिंह मय S.A श्री सन्त कुमार, एस0आई0 श्री सत्यदेव सिंह, मय का0 433 कौशल कुमार, का0 159 विपिन कुमार, का0 515 दिनेश कुमार मय जीप सरकारी UP 23 G 0227 मय चालक मनोज के थाना हाजा से बहवाले रपट नं0 3 समय 00.08 बजे रवाना होकर इलाका थाना हाजा में वास्ते गश्त व चैकिंग व रोकने जुर्म जरायाम में मामूर था कि जब हम लोग गश्त करते हुए कांठ रोड की तरफ जा रहे थे और समय करीब 02.00 बजे कांठ रोड पर दौराहे बाबा की मजार के पास तिराहे पर तीन

व्यक्ति एक मोटर साईकिल के साथ संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिये शक होने पर हम पुलिस वालों ने गाड़ी से नीचे उतर कर जैसे टोका टाकी की तो एक व्यक्ति ने कहा कि माहिर भागो पुलिस आ रही है और तीनों मजार की तरफ भागने लगे कि जैसे ही हम लोगों ने पीछा करना शुरु किया तो तभी इन तीनों व्यक्तियों ने पीछे मुडकर हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नियत से फायर किये जिससे हम पुलिस वाले बाल बाल बचे कि हम लोगों ने साहस का परिचय देते हुए एक व्यक्ति को S.I सन्त कुमार मय का0 159 विपिन कुमार द्वारा व दुसरे व्यक्ति को si सत्यदेव सिंह व का0 515 दिनेश कुमार द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके पकड लिया। तीसरे व्यक्ति का पीछा मेरे द्वारा एवं का0 433 कौशल कुमार द्वारा पीछा किया गया लेकिन अंधेरे में बड़ी फसल का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा si श्री सन्त कुमार एवं . विपिन कुमार द्वारा पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो इसने अपना नाम धीर सिंह उर्फ धीरा पुत्र काशीराम निवासी मजरा पताई खालसा थाना डिडौली जिला अमरोहा बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो दाहिने हाथ में पकड़े एक अदद तमंचा 315 बोर बरामद हुआ जिसकी लम्बाई बट 04 अंगुल जिसके दोनों तरफ लकड़ी की चाप लगी जो कीलो से कसा हुआ। बाडी लाक लम्बाई करीब 05 अंगुल जिसके नीचे 02 ट्रैगर नुमा पती मोटी जिसमे आगे की पत्ती नाल खोलने व बंद करने के लिए एवं दुसरी पत्ती ट्रैगर है। बाडी के उपर एक ट्रैगर लगा है बैरल की लम्बाई करीब 06 अंगुल लोहा जिसके आगे डिजाइनदार बैरल बनी है। बरामद तमंचे को सावधानी पूर्वक खोलकर देखा तो बैरल के अन्दर बोखा 315 बोर फसा है। नाल को मेरे द्वारा स्वय सूंघकर देखा व हमराहीयान को सुधाया तो ताजे चले बारुद की गंध आ रही है जिसे तमचें को मय खोखा कारतूस नाल में फसा उसी प्रकार बंद कर दिया। पहने लोवर की दाहिने जेब से 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर जिसकी पैटी 8 MM KF लिखा है एवं बायी जेब से 2300/—रु जिसमें 3 नोट 500 के एवं 8 नोट 100 के बरामद हुए। SI श्री सत्यदेव सिंह एवं कान्स. 515 दिनेश के द्वारा दूसरे पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो इसने अपना नाम फुरकान पुत्र मौ० यामीन R/O ग्राम श्यामपुर PS डिडौली जनपद अमरोहा बताया। जामा तलाशी में दाहिने हाथ से एक अदद तमंचा देशी 315 बोर जिसकी बट की लम्बाई करीब 04 अंगुल जिसके दोनों तरफ लकड़ी की चाप 02 कील से कसी है। बाडी लोहा करीब 06 अंगुल जिसके नीचे एक लाहे की पत्ती नाल बोलने बंद करने के लिए दूसरे लोहे की मोटी पत्ती ट्रैगर बना है व बाडी के ऊपर एक अदद लोहे का हेमर बना है बैरल लोहा डिजाइनदार जिसकी लम्बाई करीब 06 अगुंल है बरामद हुआ बरामद तमंचे को सावधानी पूर्वक खोला तो एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फसा है जिसकी नाल को मेरे द्वारा एवं हमराहीयान द्वारा सुधा तो ताजे चले बारूद की गंध आ रही है। पहनी जीन्स की पेट

की दाहिनी जेब से 02 अदद जिंदा कारतूस एवं उसी जेब कुल 2700/– रूपये एक नोट 2000/– रु. व 7 नोट 100 के बरामद हुए पकडे गये दोनों व्यक्तियों से तीसरे भागे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो भागे साथी का नाम माहिर हुसैन S/O साबिर निवासी मौ० ब्रहमपुरी PS नुरपुर जिला बिजनौर बताया। मौके से बरामद मोटर साईकिल हीरो सुपर स्पेलण्डर रंग काला जिस पर लाल एवं सफेद पटटी बनी है, का निरीक्षण किया तो उस पर पीछे नम्बर प्लेट पर UP 23-132 रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित है जिसका इंजन नम्बर 9 G 00391 व चैसिस न0 9 G 05585 अंकित है। बरामद मोटर साईकिल के बारे में पूछा गया तो बताया कि यह मोटर साईकिल भागे साथी माहिर की है जो चोरी की है बरामद तमंचे एवं मोटर साईकिल का लाइसेंस/कागजात तलब किये तो दिखाने में कासिर रहे और माफी मांगने लगे। बरामद तमंचे के बारे में गिरफ्तार फुरकान ने बताया कि इसी तमंचे से मैंने अपने साथी माहिर व उसके साथी भूरा के साथ मिलकर थाना असमौली क्षेत्र मे दिनांक 01.9.18 को एक पशु व्यापारी को गोली मारी थी जिससे वह मौके पर ही मर गया था इस घटना में भी यही मोटर साईकिल इस्तेमाल की थी और इसी मोटर साईकिल से मैंने व मेरे साथी धीर सिंह तथा माहिर ने दिनांक 11–11–2018 को ढबारसी रोड पर अपना तमंचा दिखाकर मोटर साईकिल लूट ली थी इस घटना में भी मेरे पास यही तमंचा था। गिरफ्तार अभियुक्त धीर सिंह उर्फ धीरा ने बताया कि दिनाक 11–11–2018 को ढबारसी रोड पर मैने अपने साथी माहिर व फुरकान के साथ मिलकर तंमचा दिखाकर एक मोटर साईकिल लूट ली थी उस घटना में भी मेरे पास यही तमंचा था। इस घटना में जिस मोटर साईकिल को लूटा था वह माहिर लेकर चला गया था और हम अपने साथी भूरा की मोटर साईकिल दे दी थी जो आज हमसे बरामद हुई है। नावक्त रात्रि होने के कारण कोई गवाह नहीं मिल सका। बरामदा तमंचा व कारतूस को अभियुक्त बार सरकारी गाडी में रखे 02 अलग–2 डिब्बो में रखकर सील सर्वे मोहर नमुना मोहर व गिरफ्तारी मीमों बनाये गये। फर्द मौके पर टार्चा की रोशनी में तैयार की गयी। फर्द की कार्बन प्रति अभियुक्त धीर सिंह की सहमति से अभियुक्त फुरकान को देकर अलामात बनवाये जाते है।

4– फर्द बरामदगी के आधार अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा, फुरकान एवं माहिर हुसैन के विरूद्ध अ0सं0 745 सन 2018 धारा 307,413,414 भा0द0सं0 एवं अ0सं0 746 सन 2018 धारा 3/25 आयुध अधि0 बनाम धीर सिंह उर्फ धीरा एवं अ0सं0 747 सन 2028 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम फुरकान के अन्तर्गत थाना अमरोहा पर दिनांक 04.12.2028 को समय 05.01 बजे पर अभियोग पंजीकृत किया गया जिसका खुलासा कायमी जी0डी0 रपट नं0 06 दिनांक 04.12.2018 समय 05.01 बजे के अन्तर्गत किया गया।

5– मामले की विवेचना निरीक्षक कान्ती प्रसाद द्वारा प्रारम्भ की गयी। विवेचक

द्वारा दौरान विवेचना घटना स्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी तैयार किया गया एवं गवाहों के बयान अंकित किये गये। दौरान विवेचना यह साक्ष्य आया कि अभियुक्तगण द्वारा मोटर साईकिल को चोरी कर धोखा देने के लिए नम्बर प्लेट बदल कर कूट रचना की गयी तथा दौरान विवेचना धारा 420,467,468,471 भा0दं0सं0 की वृद्धि की गयी। विवेचक द्वारा बरामदगी स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा गवाहों के बयान अंकित किये गये। अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा एवं फुरकान से बरामद तमंचा व कारतूस के अभियोग चलाने की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त की गयी। साक्ष्य संकलन करने के उपरांत मामले की विवेचना पूरी करते हुए अभियुक्तगण माहिर हुसैन, धीर सिंह उर्फ धीरा एवं फुरकान के विरूद्ध धारा 307 413, 414,420,467,468, 471 भा0दं0स0 व अभियुक्तगण धीरसिंह उर्फ धीरा व फुरकान के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत पृथक–पृथक आरोप पत्र विचारण हेतु न्यायालय प्रेषित किये गये

6– अभियुक्तगण के न्यायालय उपस्थित आने पर विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमरोहा ने दिनांक 25.01.2019 को मामलों को सत्र सुपुर्द किया, जिसके आधार पर क्रमशःसत्र परीक्षण संख्या 29 सन 2019, सत्र परीक्षण संख्या 30 सन 2019 व सत्र परीक्षण संख्या 31 सन 2019 दर्ज होकर दिनाक 07.07.2022 को अभियुक्तगण माहिर, धीर सिंह उर्फ धीरा एवं फुरकान के विरूद्ध धारा 307 413, 414,420,467,468, 471 भा0दं0सं0 व अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित होकर विचारण प्रारम्भ हुआ।

<u>विचारण के दौरान प्राप्त हुआ साक्ष्य–</u>

7–अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य का विवरण इस प्रकार हैः–

<u>मौखिक साक्ष्य</u>–

पी0डब्लू0–1	थानाध्यक्ष नबाव सिंह
पी0डब्लू0–2	एच0सी0 490 सनोज कुमार
पी0डब्लू0–3	निरीक्षक कान्ती प्रसाद शर्मा
पी0डब्लू0–4	उपनिरीक्षक सत्यदेव सिंह

दस्तावेजी साक्ष्य–

प्रदर्श क–1	फर्द बरामदगी	पी0डब्लू0–1नबाव सिंह
प्रदर्श क–2	चिक एफ0आई0आर0	पी0डब्लू0–2सनोज कुमार
प्रदर्श क–3	कायमी जी0डी0	पी0डब्लू0–2सनोज कुमार
प्रदर्श क–4	चिकएफ0आई0आर0 3/25 आयुध अधिनियम फुरकान	पी0डब्लू0–2सनोज कुमार
प्रदर्श क–5	चिकएफ0आई0आर0 3/25 आयुध अधिनियम धीरसिंह	पी0डब्लू0–2सनोज कुमार
वस्तु प्रदर्श –1	पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बा	पी0डब्लू0–1नबाव सिंह

वस्तु प्रदर्श–2	तमंचा	पी0डब्लू0–1नबाव सिंह
वस्तु प्रदर्श–3	तमंचे की नाल के अन्दर फंसे खोखा कारतूस	पी0डब्लू0–1नबाव सिंह
वस्तु प्रदर्श–4, 5	डिब्बे के अन्दर मौजूद कारतूस दो अदद	पी0डब्लू0–1नबाव सिंह
वस्तु प्रदर्श–6	पारदर्शी प्लास्टिक का डिब्बा	पी0डब्लू0–1नबाव सिंह
वस्तु प्रदर्श–7	तमंचा 313 बोर	पी0डब्लू0–1नबाव सिंह
वस्तु प्रदर्श–8	तमंचे की नाल में फंसे खोखा कारतूस	पी0डब्लू0–1नबाव सिंह
वस्तु प्रदर्श–9 व 10	दो जिन्दा कारतूस 315 बोर	पी0डब्लू0–1नबाव सिंह
प्रदर्श क–6	नक्शा नजरी	पी0डब्लू0–3निरीक्षककान्ती प्रसाद
प्रदर्श क–7	अभियोग चलाने की अनुमति	पी0डब्लू0–3निरीक्षककान्ती प्रसाद
प्रदर्श क–8	अभियोग चलाने की अनुमति	पी0डब्लू0–3निरीक्षककान्ती प्रसाद
प्रदर्श क–9	आरोप पत्र धारा 3/25	पी0डब्लू0–3निरीक्षककान्ती प्रसाद
प्रदर्श क–10	आरोप पत्र धारा 3/25	पी0डब्लू0–3निरीक्षककान्ती प्रसाद
प्रदर्श क–11	आरोप पत्र धारा 307	पी0डब्लू0–3निरीक्षककान्ती प्रसाद

अभियुक्तगण की परीक्षा–

8– अभियुक्तगण की परीक्षा धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत की गई। परीक्षा के दौरान अभियुक्तगण ने घटना को गलत व झूठ बताया तथा बरामदगी झूठी दिखाये जाने का कथन किया और गवाहों द्वारा गलत दिये जाना कहा और कथन किया कि वे निर्दोष है उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा कोई सफाई साक्ष्य पेश करने से इन्कार किया।

9– अभियोजन/राज्य की तरफ से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री अमित कुमार तथा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया ।

10– अभियुक्तगण माहिर हुसैन, धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान के विरूद्ध धारा 307 413, 414,420,467,468, 471 भा0दं0सं0 व अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप है जिसे युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है।

धारा 307 भा0दं0सं0 में यह प्राविधान है कि– जो कोई किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होगा, वह दोनों में से किसी भॉति कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा और यदि ऐसे कार्य द्वारा किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए , तो वह अपराधी या तो आजीवन कारावास से या ऐसे दण्ड से

दण्डनीय होगा जैसा एतस्मिनपूर्व वर्णित है।

धारा 413 भा0दं0सं0 में यह प्रावधान दिया गया है कि– चुराई हुई सम्पत्ति का अभ्यासतः व्यापार करना–जो कोई ऐसी सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है, अभ्यासतः प्राप्त करेगा, या अभ्यासतः उसमें व्यवहार करेगा, वह आजीवन करावास से या दोनों में से किसी भॉति के कारण से जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी दण्डित किया जाए और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 414 भा0दं0सं0 में यह प्रावधान दिया गया है कि– चुराई हुई सम्पत्ति छिपाने में सहायता करना– जो कोई ऐसी सम्पत्ति को छिपाने में, या व्ययनित करने में, या इधर उधर करने में स्वेच्छया सहायता करेगा, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 420 भा0दं0सं0 के अधीन यह प्राविधान है कि– जो कोई छल करेगा, और तद्द्वारा उस व्यक्ति का, जिसे प्रवंचित किया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई सम्पत्ति किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दें, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को, या किसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णतः या अंशतः रच दे परिवर्तित कर दे , या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

धारा 467 भा0दं0सं0 के अधीन यह प्राविधान है कि– जो कोई किसी ऐसे दस्तावेज की, जिसका कोई मूल्यवान प्रतिभूति या बिल या पुत्र के दत्तकग्रहण का प्राधिकार होना तात्पर्पित हो, अथवा जिसका किसी मूल्यवान प्रतिभूति की रचना या अन्तरण का,या उसपर के मूलधन, ब्याज या लाभांश को प्राप्त करने का, या किसी धन जंगम सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को प्राप्त करने या परिदत्त करने का प्राधिकार होना तात्पर्यित हो, अथवा किसी दस्तावेज को जिसका धन दिए जाने की अभिस्वीकृति करने वाला निस्तारण पत्र या रसीद होना, या किसी जंगम सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के परिदान के लिए निस्तारण पत्र या रसीद होना तात्पर्यित हो, कूटरचना करेगा वह आजीवन कारावास से, या दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 468 भा0दं0सं0 के अधीन यह प्राविधान है कि– जो कोई कूटरचना इस आशय से करेगा कि छल के प्रयोजन से उपयोग में लाई जाएगी, वह दोनों में से किसी भॉति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित

किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 471 भा0दं0सं0 के अधीन यह प्राविधान है कि— जो कोई किसी ऐसी दस्तावेज या इलेक्ट्रानिक अभिलेख को जिसके बारे में वह यह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि वह कूटरचित है, कपटपूर्वक या बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाएगा, वह उसी प्रकार दण्डित किया जाएगा, मानो उसने ऐसी दस्तावेज की कूटरचना की हो।

धारा 25 आयुद्ध अधिनियम के अधीन यह प्राविधान है कि— उक्त अधिनियम की धारा 3 के उल्लंघन में लाईसेंस के बगैर यदि कोई व्यक्ति कोई अग्नेयास्त्र या आयुद्ध प्राप्त करता है या अपने कब्जे में रखता है या लेकर चलता है तो वह तीन वर्ष तक के कारावास व अर्थदण्ड से दण्डनीय है। कारावास की अवधि एक वर्ष से कम की नहीं होगी।

सिद्धान्त—अभियोजन पक्ष को अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्ति युक्त संन्देह से परे साबित करना होता है। इसके लिए पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के उपरांत यह देखना होगा कि क्या अभियोजन पक्ष उक्त सत्र विचारण में अभियोजन कथानक को सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नही। इसके लिए सर्वप्रथम प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों को देखना अनिवार्य है।

दाण्डिक न्यायशास्त्र का पूर्णतया तय सिद्धान्त है कि अभियोजन को अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध के आवश्यक तथ्यों को विश्वसनीय साक्ष्य के माध्यम से युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करना होता है और यदि अभियोजन अपने इस दायित्व को साबित करने में विफल रहता है तो इसका लाभ अभियुक्तगण को अवश्य मिलना चाहिए।

11— विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या कथित तिथि, समय व स्थान पर ऐसी घटना घटित हुई जैसा कि अभियोजन कथानक है। इस सम्बन्ध में यह भी विचारणीय है कि यदि किसी प्रकार की घटना अस्तित्व में रही हो क्या अभियोजन इसे पत्रावली पर उपलब्ध कराए गये साक्ष्यों से युक्ति युक्त ढ़ग से सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है? इस सम्बन्ध में निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षीगण की साक्ष्य की समीक्षा किया जाना आवश्यक है।

12— साक्षी पी0डब्लू0—1 थानाध्यक्ष नबाव सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 04.12.2018 को वह कोतवाली नगर में प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन उसके हमराह में दरोगा संतकुमार, सत्यदेव सिंह तथा का0 कौशल कुमार, का0 विपिन कुमार, का0 दिनेश कुमार थे। हम लोग सरकारी जीप यू0पी0 23 जी0 0227 से थाने से रपट नं0 3 समय 00.08 बजे रवाना होकर थाना क्षेत्र से गश्त चैंकिग व अपराध नियंत्रण में मामूर थे कि जब

हम लोग कांठ रोड पर गश्त करते हुए जा रहे थे तो समय करीब दो बजे जब हम कांठ रोड पर दौराहे बाबा की मजार के पास आये तो **तीन व्यक्ति एक मोटर साईकिल के साथ संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखायी दिये, शक होने पर हम लोगों ने गाड़ी से नीचे उतरकर जैसे ही टोका टाकी की तो एक व्यक्ति ने कहा कि माहिर भागो पुलिस आ गयी है और तीनो लोग मजार की तरफ भागने लगे जैसे हम लोगों ने इनका पीछा करना शुरू किया तो तभी इनके द्वारा पीछे मुड़कर हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर किये जिससे हम बाल–बाल बच गये । हम लागों ने साहस का परिचय देते हुए एक बदमाश को निरीक्षक संत कुमार व का0 विपिन कुमार द्वारा तथा दूसरे बदमाश को निरीक्षक सत्यदेव व का0 दिनेश द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके पकड़ लिया तथा तीसरे व्यक्ति का पीछा किया गया लेकिन अंधेरे में खड़ी फसल का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम धीर सिंह उर्फ धीरा पुत्र काशीराम निवासी मझरा पतेई खालसा थाना डिडौली जिला अमरोहा बताया जिसकी जामा तलाशी पर उसके द्वारा दाहिनी हाथ में पकड़ा हुआ एक अदद तमंचा 315 बोर तथा दाहिनी जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर मुताबिक फर्द बरामद हुआ और बायी जेब से 2300/–रूपये बरामद हुए। उपनिरीक्षक सत्यदेव व का0 दिनेश के द्वारा पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम फुरकान पुत्र यामीन निवासी ग्राम श्यामपुर थाना डिडौली जिला अमरोहा बताया जामा तलाशी से दाहिने हाथ से एक अदद तमंचा देशी 315 बोर तथा दाहिनी जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर मुताबिक फर्द बरामद हुए जब से कुल 2700/–रूपये बरामद हुए । दोनों बदमाशो से बरामद तमंचों को खोलकर सूंघा गया तो उनमें से ताजे चले कारतूस की गंध जा रही थी। एक–एक खोखा कारतूस नाल में फंसे हुए थे। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से तीसरे भागे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो भागे हुए साथी का नाम माहिर हुसैन पुत्र साबिर निवासी मो0 ब्रहमपुरी थाना नूरपुर जिला बिजनौर बताया। मौके से बरामद मोटर साईकिल हीरो सुपर स्पैलेन्डर रंग काला जिस पर लाल व सफेद पटटी बनी थी। उसका निरीक्षण करने पर उस पर पीछे की तरफ यू0पी0 23–137 की नम्बर प्लेट लगी थी जिसका इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर मुताबिक फर्द है। बरामद मोटर साईकिल के बारे में पूछने पर दोनों अभियुक्तो ने बताया कि यह मोटर सा. ईकिल भागे साथ माहिर की है जो चोरी की है, बरामद तमंचे व मोटर साईकिल का लाईसेन्स तलब किये गये तो दिखाने में कासिर रहे। बरामद तमंचे के बारे में गिरफ्तार अभियुक्त माहिर ने बताया कि इसी तमंचे से उसने अपने साथी माहिर व उसके साथी भूरा के साथ मिलकर थाना असमौली क्षेत्र में दिनाक 01.09.2018 को एक पशु व्यापारी की गोली मारकर हत्या की थी उस घटना में यही मोटर**

साईकिल इस्तेमाल की थी। इसी मोटर साईकिल से उसने व उसके साथी धीर सिंह तथा माहिर ने दिनांक 11.11.2018 को ढवारसी रोड पर अपना तमंचा दिखाकर मोटर साईकिल लूट ली थी। उस घटना में मेरे पास यही तमंचा था। गिरफ्तार अभियुक्त धीर सिंह ने बताया कि दिनांक 11.11.2018 को ढबारसी रोड पर उसने अपने साथी माहिर व फुरकान के साथ मिलकर तमंचा दिखाकर एक मोटर साईकिल लूट ली थी। उस घटना में भी मेरे पास यही तमंचा था। उस घटना में जिस मोटर साईकिल को लूटा गया था वह माहिर लेकर चला गया था और उन्हें अपनी साथी भूरा की मोटर साईकिल दे दी थी जो उस दिन उनसे बरामद हुई थी। नावक्त रात्रि होने के कारण जनता कोई गवाह नहीं मिल सका था। बरामद तमंचा व कारतूस व पैसो को अलग–अलग डिब्बों में रखकर सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर बनाया गया था। मौके पर ही गिरफ्तारी मैमो तैयार की गयी थी। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा मानवाधिकार के दिशा निर्देशो का पालन किया गया था। फर्द मौके पर ही टार्चो की रोशनी पर साक्षी द्वारा उपनिरीक्षक सत्यदेव सिंह को बोल–बोल कर लिखायी गयी थी। फर्द का मजमून सभी हमराही कर्मचारीगण को पढ़कर सुनाकर गवाही करा दी गयी थी तथा फर्द की एक प्रति अभियुक्त धीर सिंह की सहमति से अभियुक्त फुरकान को देकर हस्ताक्षर बनवा दिये गये थे। फर्द पर साक्षी के भी हस्ताक्षर है जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया।

दिनांक 04.12.2028 को अभियुक्तगण से बरामद तमंचे व कारतूस आज न्यायालय में साक्षी के सामने मौजूद है। अभियुक्त धीर सिंह उर्फ धीरा से बरामद तमंचा 315 बोर के पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे पर वस्तु प्रदर्श–1 व डिब्बे के अन्दर मौजूद तमंचे पर वस्तु प्रदर्श–2 तथा तमंचे की नाल के अन्दर फंसे खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श–3 तथा डिब्बे के अन्दर मौजूद कारतूसों दो पर वस्तु प्रदर्श–4 व प्रदर्श–5 डाला गया। अभियुक्त फुरकान से बरामद तमंचे 315 बोर के पारदर्शी प्लास्टिक के डिब्बे पर वस्तु प्रदर्श–6 तथा डिब्बे के अन्दर मौजूद तमंचे पर वस्तु प्रदर्श–7 ओर तमंचे की नाल में फंसे खोखा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श–8 और डिब्बे के अन्दर मौजूद दो जिन्दा कारतूस पर वस्तु प्रदर्श 9 व वस्तु प्रदर्श–10 डाला गया।

इस साक्षी से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि थाने से रवानगी करायी थी। जी0डी0 रवानगी पत्रावली पर नहीं है और ना ही आज साथ लेकर आया हूँ। थाने से लगभग 6 लोग चले थे। दरोगा जी सन्त कुमार, सत्यदेव, का0 दिनेश, का0 कौशल, एक का नाम याद नहीं है। हम सब लोग एक ही वाहन में थे। गाड़ी ड्राईवर विपिन चला रहा था। थाने से सील सर्वे मोहर साथ लेकर चले थे। सामान की लिखत पढत जी0डी0 में नहीं की थी। थाने से रात के 12.00बजे चले थे। तलाश वांछित अपराधी संदिग्ध व्यक्ति गश्त में चले थे। तलाश अभियुक्त वांछित का जी0डी0 में तस्करा नहीं किया

था। थाने से शहर में घूमने हुए लगभग 2.00 बजे के करीब कांठ रोड पर आये थे, रूके कही नहीं थे। किन लोगों से रात में मुलाकात हुई थी। याद नहीं है। कितने लोगों से हुई थी। यह भी याद नहीं है। थाने से हमें घूमते घूमते घटना स्थल पर पहुंचने में दो घण्टा लगे थे। थाने से घटना स्थल की दूरी 3 किमी है। रात अंधेरी थी उजाली थी याद नहीं है। मुल्जिमों को 25–30 कदम की दूरी से गाड़ी की रोशनी में देखा लिया था। मुल्जिम 20–30 कदम भागे थे, जहॉ से देखा था वहॉ से पश्चिम दिशा को भागे थे। सारे मुल्जिम एक दिशा में भागे थे। हमने रूकने के लिए कहा था परन्तु नहीं रूके। दो मुल्जिमों को एक साथ पकड़ लिया था। किस मुल्जिम को किसने पकड़ा था। मुझे याद नहीं है लेकिन मैं देखकर बता सकता हूॅ। एक मुल्जिम से दूसरे मुल्जिम की क्या दूरी होगी इस समय ध्यान नहीं है। **पुलिस पार्टी पर किस प्रकार की कोई चोट नहीं आयी थी। पुलिस पार्टी ने कोई फायर नहीं किया था जबकि सरकारी असलाह साथ थे। घटना स्थल के आस पास खेत व बाग था। खेत किस चीज के थे याद नहीं है पब्लिक का कोई आदमी मौके पर नही आया था। घटना अचानक हुई थी रात का समय था इसलिये पब्लिक का आदमी नहीं था।** फर्द उपनिरीक्षक सत्यदेव सिंह ने लिखी थी। माल मैंनेह सील किया था। नमूना मोहर पत्रावली पर नहीं आता है। फायर शुदा तमंचा एक्सपर्ट के लिए नहीं भेजा गया। दोनों तमंचों की बनावट एक जैसे प्रतीत होती है। फर्द बनाते व माल सील करने में लगभग 3 घण्टे लगे थे। फर्द टार्च की रोशनी में बनायी थी। टार्च किस कम्पनी की थी। फर्द में नहीं लिखा है। घटना स्थल के चारों तरफ खेत थे **मोटर साईकिल चोरी की बतायी थी। लेकिन मेरे द्वारा तस्दीक नहीं हो पायी थी। बरामद शुदा मोटर साईकिल का नम्बर यू0पी0 23 –0132 था। कलर व कम्पनी का नाम नहीं पता। कलर व कम्पनी का हुलिया फर्द में लिखा है।** थाने से चलकर थाने आने में लगभग 5 घंटे लगे थे। माल माल खाने में दे दिया था और मुल्जिमों को थाना हवालात में दाखिल कर दिया था। जामा तलाशी आपस में ले ली गयी थी। कब और कहॉ ली थी, याद नहीं है। मुल्जिमों की जामा तलाशी ली थी किसने ली थी याद नहीं है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था कब लिया था याद नहीं है। यह कहना गलत है कि मुल्जिमानों द्वारा कोई घटना कारित न की गयी हो। थाने की गुडविल बनाने के लिए झूठा केस लिखा हो और कोई बरामदगी न हुई हो।

13– साक्षी पी0डब्लू0–2 एच0सी0 490 सनोज कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 04.12.2018 को मैं थाना अमरोहा नगर में आरक्षी लिपिक के पद पर तैनात था उस दिन थाने में प्रभारी निरीक्षक श्री नबाव सिंह के द्वारा थाने में एक फर्द बाबत गिरफ्तारी व बरामदगी दाखिल की गयी। फर्द के आधार पर मेरे द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अ0सं0 745 सन 2018 अन्तर्गत धारा 307,413,414 भा0दं0सं0 बनाम धीर सिंह उर्फ धीरा आदि समय 05.01 बजे दिनांक

04.12.2018 को थाने में सी0सी0टी0एन0एस0 पर तैनात कम्प्यूटर कर्मी तहरीर के आधार पर शब्द–शब्द बोलकर लिखवायी गयी जिसका खुलासा जी0डी0 नं0 6 में समय 05.01 बजे दिनांक 04.12.2018 में किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट आज पत्रावली पर मेरे सामने मौजूद हैं जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। जी0डी0 कायमी की प्रति पर प्रदर्श–3 डाला गया। बरामदगी के आधार पर उसी समय उसी जी0डी0 पर एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अ0सं0 747/18 अन्तर्गत धारा3/25 आयुध अधिनियम बनाम फुरकान व अ0सं0 746/18 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम धीरसिंह उर्फ धीरा थाना अमरोहा नगर दिनांक 04.12.2018 को समय 05.01 बजे कम्प्यूटर कर्मी को तहरीर के आधार पर बोल–बोलकर किता करायी गयी। दोनों प्रथम सूचना रिपोर्ट आज पत्रावली पर साक्षी के सामने मौजूद है जिनपर क्रमशः प्रदर्श क–4 व प्रदर्श क–5 डाला गया। विवेचक ने साक्षी के बयान लिये थे।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि मैं अमरोहा नगर में जून 2017 से 16 अगस्त 2019 तक सी0सी0 के पद पर रहा। **वादी मुकदमा ने मुझे तहरीर लिखित दी दी। जी0डी0 व एफ0आई0आर0 लिखने में करीब आधा घण्टा लगता है। जी0डी0 पहले लिखी थी। एफ0आई0आर0 सुबह के समय करीब 5.00बजे लिखी थी।** थाने पर उस समय प्रभारी निरीक्षक व अन्य पुलिस कर्मी मौजूद थे। यह कहना सही है कि वादी मुकदमा मेरे थाने के अधिकारी थे जिनकी फर्द पर उपरोक्त पंजीकृत किया था। यह कहना गलत है कि उच्चाधिकारी के कहने पर मैंने फर्जी मुकदमा दर्ज किया हो।

14– साक्षी पी0डब्लू0–3 निरीक्षक कान्ती प्रसाद शर्मा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 05.12.2018 को मैं थाना अमरोहा नगर में बतौर निरीक्षक अपराध तैनात था। उस दिन मुकदमा उपरोक्त की विवेचना मेरे द्वारा ग्रहण कर बयान वादी एसएचओ नवाब सिंह तथा फर्द गवाह उप नि० सत्यदेव, उप नि० सन्तकुमार, का० विपिन व का० कौशल अंकित किये गये । जिन्होने गिरफ्तारी व बरामदगी का समर्थन किया। दिनांक 07.12.2018 को बयान फर्द गवाह का० दिनेश कुमार अंकित किये। जिन्होने गिरफ्तारी व बरामदगी का समर्थन किया तथा उप0 नि० सन्तकुमार की निशानदेही पर निरीक्षण घटनास्थल कर नक्शा नजरी तैयार कर संलग्न सी०डी किया। जो पत्रावली पर मौजूद है मेरे हस्तलेख एवं हस्ताक्षर में है पहचानता हूं व साबित करता हूं नक्शा नजरी पर प्रदर्श क 06 डाला गया। दिनांक 10.12.2018 को वांछित अभियुक्त माहिर हुसैन जिला जेल में निरूद्ध होने की जानकारी मिली माननीय न्यायालय के समक्ष वांछित अभियुक्त माहिर हुसैन को जिला जेल मुरादाबाद से तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया प्रार्थना पत्र स्वीकार हुआ । अभियुक्त माहिर हुसैन दिनांक 15.12.2018 को तलब किया गया । दिनांक 15.

12.2018 को अभियुक्त माहिर हुसैन जिला जेल मुरादाबाद से तलब होकर माननीय न्यायालय उपस्थित आया। अभियुक्त का रिमांड स्वीकृत कराया गया । **अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल किया गया तथा घटना में प्रयुक्त तमंचा असमौली पुलिस द्वारा बरामद करना बताया।** दिनांक 22.12.2018 को एआरटीओ अमरोहा की रिपोर्ट प्राप्त कर अवलोकन कर संलग्न सी०डी की गयी । **पंजीकृत मोटर साइकिल का सही नम्बर UP20AQ9579 पाया गया तथा डीसीआरबी से मोटर साइकिल चोरी की रिपोर्ट प्राप्त कर अवलोकन कर संलग्न सी०डी की गयी। दिनांक 22.12.2018 को मुकदमा अपराध संख्या 746/2018 धारा 3/25 Arms Act बनाम धीर सिंह उर्फ धीरा तथा मुकदमा अपराध सं० 747/2018 धारा 3/ 25 Arms Act बनाम फुरकान के विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट अमरोहा की अभियोग चलाने की अनुमति प्राप्त हुई।** जिसे क्रमशः नकल कर संलग्न सी०डी किया गया जो क्रमशः से पत्रावलियों पर मौजूद है पहचानता हूं व साबित करता हूँ जिनपर पर क्रमशः से प्रदर्श 07 व 08 डाला गया। दिनांक 24.12. 2018 को अभियुक्तगण जिला जेल मुरादाबाद से तलब होकर माननीय न्यायालय अमरोहा उपस्थित आये। **अभियुक्तगण द्वारा मोटर साइकिल की चोरी कर उसकी नम्बर प्लेट बदलकर कूट रचना कर धोका देने के उद्देश्य से की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग में धारा 420, 467, 468, 471 IPC की वृद्धि की गयी।** दिनांक 25.12.2018 को अब तक की तामामी विवेचना व संकलित साक्ष्य के आधार पर मुकदमा अपराध सं० 746/2018 धारा 3/25 Arms Act बनाम धीर सिंह उर्फ धीरा तथा मुकदमा अपराध सं० 747/2018 धारा 3/25 Arms Act बनाम फुरकान के विरूद्ध जुर्म बाखूबी साबित होने पर आरोप पत्र सं० क्रमशः 511/2018 तथा 514/2018 कम्प्यूटराईज्ड रूप में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया जो क्रमशः पत्रावलियों पर मौजूद है जिनपर मेरे हस्ताक्षर बने है पहचानता हूं व साबित करता हूँ जिनपर प्रदर्श क 09 व 10 डाला गया। दिनांक 26.12.2018 को अब तक की तामामी विवेचना व संकलित साक्ष्य के आधार पर मुकदमा अपराध सं० 745/2018 धारा 307, 413, 414,420, 467, 468, 471 IPC का जुर्म अभियुक्तगण के विरूद्ध बाखूबी साबित होने पर आरोप पत्र सं० 515/2018 कम्प्यूटराईज्ड रूप में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया जो पत्रावली पर मौजूद है जिसपर मेरे हस्ताक्षर बने है पहचानता हूं व साबित करता हूँ जिसपर प्रदर्श क 11 डाला गया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह बयान दिया है कि घटना के समय थाना अमरोहा नगर में तैनात था। मेरे द्वारा मुकदमा उपरोक्त में किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नही की गयी। मेरे द्वारा केवल मुकदमा उपरोक्त में विवेचना की गयी। **एफआईआर नामजद थी। मौके से वादी एसएचओ नवाब सिंह ने मोटर साइकिल के साथ दो अभियुक्त धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान को गिरफ्तार किया था इन्होने गिरफ्तारी के दौरान तीसरे व्यक्ति का**

नाम बताया। अभियुक्तगण से बरामद कारतूस व तमंचा मैने माल खाने से निकलवाकर जिला मजिस्ट्रेट महोदय को सील बंद अवस्था में अनुमती हेतु दिखाये थे। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। घटनास्थल की चौहद्दी मुझे याद है। नक्शा मेरे द्वारा बनाया गया है। घटनास्थल के उत्तर में धर्मकांटा है पूरब में रास्ता है दक्षिण में खेत है पश्चिम में बाग है। मैने पुलिसवालो ६ गवाहन के बयान लिये थे। विवेचना में जनता के गवाह का कोई बयान अंकित नही किया गया था। किसी पुलिसवाले का कोई मेडिकल नही हुआ था। नवाब सिंह उस समय कोतवाली अमरोहा में प्रभारी निरीक्षक थे। मैं व नवाब सिंह एक ही बैच के थे। मुझे विवेचना प्रभारी निरीक्षक के आदेश अनुसार ही मिली थी। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण से बरामद तमंचे विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे थे या नही ये मुझे इस समय ध्यान नही है।यह कहना गलत है कि मैने सारी कार्यवाही व विवेचना थाने पर बैठकर की हो । यह कहना भी गलत है कि उच्चधिकारीयों के दवाब में अभियुक्तगण के विरूद्ध गलत आरोप पत्र प्रेषित किया हो।

15— साक्षी पी0डब्लू0—4 उपनिरीक्षक सत्यदेव सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 04.12.2018 को मैं थाना अमरोहा नगर में बतौर उप नि० तैनात था। उस दिन मैं थाने से प्रभारी निरीक्षक नवाब सिंह मय हमराहीयान मय सरकारी गाडी नं० UP23G0227 थाने से बहवाले रपट सं0 03 समय 00:08 बजे रवाना होकर इलाका थाना क्षेत्र में गश्त व चौकिंग तथा रोक थाम जुर्म जरायाम में मामूर थे। कि जब हम लोग गश्त करते हुए कांठ रोड की तरफ जा रहे थे तो समय करीब 02.00 बजे कांठ रोड पर दौराहे बाबा की मजार के पास तिराहे पर तीन व्यक्ति एक मोटर साईकिल के साथ संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिये शक होने पर हम पुलिस वालो ने गाडी से नीचे उतर कर जैसे टोका टाकी की तो एक व्यक्ति ने कहा कि माहिर भागो पुलिस आ गयी है और तीनो मजार की तरफ भागने लगे कि जैसे ही हम लोगो ने पीछा करना शुरु किया तो तभी इन तीनो व्यक्तियो ने पीछे मुडकर हम पुलिस वालो पर जान से मारने की नियत से फायर किये। जिससे हम पुलिस वाले बाल बाल बचे उसके बाद हम पुलिसवालों ने साहस का परिचय देते हुए एक व्यक्ति को S.I सन्त कुमार एव का० विपिन कुमार द्वारा व दुसरे व्यक्ति को मेरे द्वारा व का० दिनेश कुमार द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके पकड लिया। तीसरे व्यक्ति का पीछा प्रभारी निरिक्षक नवाब सिंह व का० कौशल कुमार किया गया। जो अंधेरे में खडी फसल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। **उप0 नि० श्री सन्त कुमार एव का० विपिन कुमार द्वारा पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो इसने अपना नाम धीर सिंह उर्फ धीरा बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो दाहिने हाथ में पकडा एक अदद तंमचा 315 बोर बरामद हुआ जिसका हुलिया फर्द मुताबिक था। बरामद तमंचे को सावधानी पूर्वक खोलकर देखा तो बैरल के अन्दर**

315 बोर का कारतूस फसा था । नाल को प्रभारी निरीक्षक द्वारा सूंघकर देखा व हमराहीयान को सुंघाया तो ताजे चले बारुद की गंध आ रही थी। जिसे तमचे को मय खोखा कारतूस नाल में फसा उसी प्रकार बंद कर दिया गया। जामा तलाशी में पहने लोवर की दाहिने जेब से 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर जिसकी पैंदी पर 8 MM KF लिखा था एवं बायी जेब से 2300/–रु0 जिसमे 3 नोट 500 के एवं 8 नोट 100 के बरामद हुए। मेरे द्वारा एवं कान्स. दिनेश के द्वारा पकडे गये व्यक्ति कानाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो इसने अपना नाम फुरकान बताया। जामा तलाशी मे दाहिने हाथ से एक अदद तमचा देशी 315 बोर जिसका हुलिया फर्द मुताबिक था। बरामद हुए तमंचे को सावधानी पूर्वक खोला तो एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फसा था जिसकी नाल को प्रभारी निरीक्षक एव हमराहीयान द्वारा सूंघा तो ताजे चले बारुद की गंध आ रही थी। जामा तलाशी में पहनी जीन्स की पैंट की दाहिनी जेब से 02 अदद जिंदा कारतूस एवं उसी जेब कुल 2700/– रुपये एक नोट 2000/–रु. व 7 नोट 100 के बरामद हुए । पकडे गये दोनो व्यक्तियो से तीसरे भागे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो भागे साथी का नाम माहिर हुसैन पुत्र साबिर निवासी मौ० ब्रहमपुरी थाना नुरपुर जिला बिजनौर बताया। मौके से बरामद मोटर साईकिल हीरो सुपर स्पेलण्डर रंग काला जिस पर लाल एवं सफेद पटटी बनी थी का निरीक्षण किया तो उस पर पीछे नम्बर प्लेट पर UP 23 132 रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित था। जिसका इंजन नम्बर व चैसिस नं० फर्द मुताबिक था। बरामद मोटर साईकिल के बारे में पूछा गया तो बताया कि यह मोटर साईकिल भागे साथी माहिर की है जो चोरी की है बरामद तमंचे एवं मोटर साईकिल का लाइसेंस/ कागजात तलब किये तो दिखाने में कासिर रहे और माफी मांगने लगे। बरामद तमंचे के बारे में गिरफ्तार फुरकान ने बताया कि इसी तमंचे से मैने अपने साथी माहिर व उसके साथी भूरा के साथ मिलकर थाना असमौली क्षेत्र मे दिनांक 01–09–2018 को एक पशु व्यापारी को गोली मारी थी जिससे वह मौके पर ही मर गया था इस घटना में भी यही मोटर साईकिल इस्तेमाल की थी और इसी मोटर साईकिल से मैने व मेरे साथी धीर सिंह तथा माहिर ने दिनांक 11–11–2018 को ढबारसी रोड पर अपना तमंचा दिखाकर मोटर साईकिल लूट ली थी इस घटना में भी मेरे पास यही तमंचा था। गिरफ्तार अभियुक्त धीर सिंह उर्फ धीरा ने बताया कि दिनाक 11–11–2018 को ढबारसी रोड पर मैने अपने साथी माहिर व फुरकान के साथ मिलकर तंमचा दिखाकर एक मोटर साईकिल लूट ली थी उस घटना मे भी मेरे पास यही तमंचा था। इस घटना मे जिस मोटर साईकिल को लूटा था वह माहिर लेकर चला गया था और हमे अपने साथी भूरा की मोटर साईकिल दे दी थी जो आज हमसे बरामद हुई है। नावक्त रात्रि होने के कारण जनता का कोई गवाह नहीं मिल सका। बरामदा तमंचा व कारतूस को अभियुक्त वार सरकारी गाड़ी में रखे अलग–2 डिब्बो में रखकर सील सर्वे मोहर नमुना

मोहर कर व गिरफ्तारी मीमो मौके पर बनाये गये। नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अभियुक्तगण को हिरासत पुलिस लिया गया । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की सूचना थाने पर जाकर उनके परिवार जन को दी गयी थी। फर्द टार्चों की रोशनी में प्रभारी निरीक्षक द्वारा मुझसे तैयार करायी गयी थी तथा हमराही कर्मचारीगण को पढकर सुनाकर हस्ताक्षर कराये गये थे। फर्द की एक कार्बन प्रति अभियुक्त धीर सिह की सहमति से अभियुक्त फुरकान को देकर हस्ताक्षर बनवाये गये। बरामदगी फर्द पत्रावली पर मौजूद है जो मेरे हस्तलेख में है जिस पर मेरे हस्ताक्षर भी बने है जिने मैं पहचानता हूँ व साबित करता हूँ फर्द पर पूर्व में प्रदर्श क 01 डाला जा चुका है। विवेचक महोदय ने मेरे बयान लिया था।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह बयान दिया है कि मैं थाना अमरोहा नगर में वर्ष 2017 से 2020 तक उप नि0 के पद पर तैनात रहा । मैं मुल्जिमान को पहले से नहीं जानता था। थाने से हम पुलिसवाले वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था व रोकथाम जुर्म जरायम व चैकिंग व गश्त में उक्त मुकदमे की घटना वाले दिन थानाक्षेत्र में मामूर थे। उस दिन एसएचओ नवाब सिहं, उप नि० सन्त कुमार, का० कौशल कुमार, का० विपिन कुमार और मैं स्वंय थाने की सरकारी गाडी में थानाक्षेत्र में थे। रात्री नावक्त होने के कारण घटना के समय हम पुलिसवालों को कोई व्यक्ति नही मिले थे। थाने से हम पुलिसवाले जी० डी में रवानगी कराके गये थे। जी0 डी0 आज मैं साथ लेकर नही आया हूँ और ना ही पत्रावली पर मौजूद है। घटना वाले दिन सरकारी गाडी का चालक मनोज कुमार था। हम लोग थाने से अपनी सरकारी किट अपने साथ लेकर चलते है। सरकारी किट में जो सामान रहता उसका उल्लेख जी० डी० में नहीं करते है। थाने से हम पुलिसवाले रपट नं0 03 समय 12:08 बजे रवाना हुए थे। थाने से रवाना होने के बाद हम पुलिसवाले करीब 2:00 बजे काँठ रोड पर पहुँचे थे। हम गश्त रहे थे। उसी समय हम पुलिसवालों को तीन व्यक्ति एक मोटर साइकिल पर मजार के पास संदिग्ध अवस्था में दिखे थे तो हम पुलिसवालों ने उनकी टोका टाकी की थी। हम गश्त व चौकिंग दोनो कर रहे थे। रात्री का नावक्त होने के कारण हम पुलिसवालो को पब्लिक के कोई लोग नही मिले थे। थाने से चल रहे थे जब तक हम घटनास्थल पर पहुँचे तो कितने मिलने जुलने वाले लोगो से मुलाकात हुई थी ये मुझे इस समय याद नहीं है। घटनास्थल से थाने की दूरी डेढ से दो किलोमीटर होगी। थाने से घटनास्थल तक पहुँचने में करीब दो घंटे लगे थे। रात्री का समय था अंधेरी रात थी या चांदनी रात थी ये मुझे ध्यान नही है। सरकारी गाडी की रोशनी में ही हमने मजार के पास मुल्जिम को देखा था। जहाँ से हम पुलिसवालों ने मुल्जिमान को देखा था उसके बीच की दूरी करीब 30–35 कदम थी। किलोमीटर की कोई दूरी नही थी। मुल्जिमान हम पुलिसवालो को देखकर मजार की तरफ भागने लगे थे। तीनो

मुल्जिम पश्चिम दिशा मजार की ओर भागे थे। मुल्जिमान कितने कदम भागे थे ये मुझे इस समय ध्यान नही है। हमने मुल्जिमान को रूकने के लिए भी कहा था। फिर मुल्जिमान के द्वारा हम पुलिसवालो पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया था। मुल्जिमान द्वारा फायर अपने अपने तमंचों से किया गया था । उस समय हम पुलिसवाले प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त तौर तरीको से मुल्जिमान की तमंचे की फायर से बाल बाल बच गये थे। किसी के कोई चोट नहीं आयी थी। मुल्जिमान को हम पुलिसवालो के द्वारा तीनो को एक साथ नही पकडा था। मौके पर तो केवल अभियुक्त धीर सिंह उर्फ धीरा और फुरकान पकडे गये थे। अभियुक्त माहिर हुसैन मौके से अंधेरे व खडी फसल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा था। अभियुक्त धीर सिंह उर्फ धीरा को उप नि० श्री संत कुमार व का० विपिन कुमार के द्वारा और अभियुक्त फुरकान मेरे व का० दिनेश कुमार के द्वारा मौके से गिरफ्तार किया गया था। हम पुलिसवालो ने अपने बचाव में इन मुल्जिमान पर कोई भी फायर नहीं किया था। मौके पर हम पुलिसवालों ने अपने को छुपते छुपाते एवं अपना अपना बचाव करते हुए मुल्जिमान धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान को त्वारित कार्यवाही करते हुए पकड लिया था इसी कारण हम पुलिसवालों द्वारा मुल्जिमान पर कोई फायर नही किया गया था। मुल्जिमान के गिरफ्तारी व बरामदगी के समय मौके पर जनता का कोई गवाह रात्री का नावक्त होने के कारण हम पुलिसवालो को नही मिल सका था। मौके पर फर्द प्रभारी निरीक्षक श्री नवाब सिंह के बोलने पर मेरे द्वारा तैयार की गयी थी। अभियुक्तगण से बरामद तमंचा व कारतूस को प्रभारी निरीक्षक नवाब सिंह द्वारा सील सर्वे मोहर किया गया था। फर्द मौके पर बिजली व टार्च की रोशनी में तैयार की गयी थी। हम पुलिसवालों ने मुल्जिमान गिरफ्तार करने से पहले एक दूसरे की जामा तलाशी ली थी किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नही थी। मुल्जिमान धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान से रुपये बरामद हुए थे । मुल्जिमान से बीडी, माचिस, सिगरेट आदि बरामद नही हुई थी । किस पुलिसवाले किस पुलिसवाले की जामा तलाशी ली ये मुझे इस समय याद नही है। विवेचक महोदय ने मेरे बयान लिया था तारीख मुझे याद नही है पर थाने में लिया था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान के विरूद्ध हम पुलिस वालो ने जो कार्यवाही की है वो अपने उच्चाधिकारी को दवाब में आकर झूठी की हो।

16– अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा बहस प्रारम्भ करते हुए यह कहा गया है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप सन्देह से परे जाकर साबित है। अभियुक्तगण ने घटना के दिनांक 04.12.2018 को समय करीब 02.00बजे स्थान कांठ रोड पर दौराहे बाबा की नजार के पास तिराहे अमरोहा थाना अमरोहा नगर जिला अमरोहा के अन्तर्गत अभियुक्तगण ने एक साथ मिलकर पुलिस

पार्टी पर जान से मारने की नीयत से तमंचा से फायर करके हमला कारित किया एवं सामान्य जन सम्बन्धित पीड़ित को धोखा देने के लिए एवं अवैध लाभ कमाने के आशय से मोटर साईकिल सं0 यू.पी0 23–132 मोटर साईकिल हीरो सुपर स्पेलैण्डर जिसका पंजीयन नम्बर बदला हुआ था जिसके इंजन नम्बर 9 जी 00391 व चैसिस नं0 9 जी 05585 था उनके कोई कागजात आपके पास नहीं थे जो लूट की बरामद हुई जिन्हें आप बेचने हेतु ले जा रहे थे। उक्त मोटर साईकिलों के चोरी के मुकदमें दर्ज थे जिन्हें अभ्यासतः चोरी की मोटर साईकिल के समव्यहार करने का अपराध कारित किया और जिन्हें आप लूट जा जानते हुए अपने कब्जे में बनाये हुए थे तथा उक्त मोटर साईकिलों के अधिक लाभांश प्राप्त करने के उद्देश्य से फर्जी तरीके से कागजात तैयार कराये गये। उक्त मोटर साईकिलों के पंजीयन नम्बर बदल कर कूटरचना करके उनके फर्जी कागजात तैयार करके इस आशय से किये कि उनको छल के प्रयोजन से उपयोग में लाया जायेगा तथा आप यह जानते थे कि वह कूटरचित है और बेईमानी से असली के रूप में उपयोग में लाये जायेगें। अभियुक्त धीरसिंह उर्फ धीरा व फुरकान से एक–एक अदद तमंचा देशी 315 बोर नाल में फंसा एक–एक खोखा कारतूस व जेब से दो–दो कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुए। अभियोजन साक्षीगण द्वारा अभियोजन कथानक का पूर्णतया समर्थन किया है। अभियोजन साक्ष्य संदेह से परे है और अभियुक्तगण आरोपित अपराध के लिये दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

17– बचाव पक्ष की ओर से बहस करते हुए विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि उन्हें झूठा फसाया गया है उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया है वे निर्दोष है। साक्षीगण के बयानों में विरोधाभास है। बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गयी है और विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाये जाने का कोई समुचित व सन्तोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी मुकदमा द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से लिखाये जाने के सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। वादी मुकदमा व गवाहान द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान व विवेचक द्वारा लिये गये बयानों में गम्भीर विरोधाभास है। घटना के सम्बन्ध में वादी की ओर से जो मौखिक बयान दिया गया है वह अपने आप में विरोधाभासी है। अभियोजन साक्षीगण द्वारा जिस प्रकार से न्यायालय के समक्ष साक्ष्य दी गयी है उसके आधार पर घटना का समर्थन नहीं होता है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को सन्देह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को लगाये गये आरोपों से दोष मुक्त किया जाए।

18– अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा कहा गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा द्वारा जो फर्द बरामदगी दिनांकित 04.12.2018 को थाना अमरोहा नगर पर दी

गयी उसमें घटना दिनांक 04.12.2018 को 2.00बजे रात्रि की दर्शित की गयी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04.12.2018 को समय 05.01 बजे पंजीकृत की गयी है। थाने से घटना की स्थल की दूरी 2.5 किलोमीटर दर्शित की गयी है। ऐसी में घटना घटित होने के बाद थाने जाने एवं अन्य कार्यवाही में भी समय लगा होगा। ऐसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाया जाना नहीं कहा जायेगा बल्कि प्रथम सूचना रिपेार्ट बिना विलम्ब के लिखाई गयी है।

19– उभय पक्ष के तर्क सुनने एवं पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा द्वारा जो फर्द बरामदगी दिनांकित 04.12.2018 को थाना अमरोहा नगर पर दी गयी उसमें घटना दिनांक 04.12.2018 को 2.00बजे रात्रि की दर्शित की गयी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04.12.2018 को समय 05.01 बजे पंजीकृत की गयी है। थाने से घटना की स्थल की दूरी 2.5 किलोमीटर दर्शित की गयी है। ऐसी में घटना घटित होने के बाद थाने जाने एवं अन्य कार्यवाही में भी समय लगा होगा। ऐसे में प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाया जाना नहीं कहा जायेगा बल्कि प्रथम सूचना रिपेार्ट बिना विलम्ब के लिखाई गयी है। जिसका युक्ति युक्त सन्तोषजनक स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से दिया गया है। अतः उपरोक्त के आधार पर न्यायालय बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नही पाता है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गयी है जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी नहीं है।

इसी सम्बन्ध में विधि व्यवस्था **भगवान जगन्नाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य 2016(10)एस0सी0 सी0 537** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि–The FIR is not the encyclopedia of all the facts relating to crime. The only requirement is that at the time of lodging FIR the informant should State all those facts which normally strike to mind and help in assessing the gravity of the crime or identity of the culprit. इस प्रकार परिस्थितियों से स्पष्ट होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रथम सूचना रिर्पोट देरी से लिखवाये जाने के सम्बन्ध में संतोषजनक स्पष्टीकरण दिया गया है और देरी के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध झूठी रिर्पोट लिखाये जाने का कोई कारण अथवा आधार स्पष्ट नहीं होता है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न विधि व्यवस्थाएं दी गई है। **रविन्द्र मेहतो बनाम झारखंड राज्य 2006(54) पेज 543 सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय** द्वारा साफ तौर से कहा गया है कि अगर प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से लिखाये जाने का स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा दिया गया हो और देरी के आधार पर प्रथम सूचना रिर्पोट में झूंठे कथन किये जाने का कोई आधार न पाया गया हो तो मात्र देरी के आधार पर न तो केस की सत्यता के सम्बन्ध में कोई संदेह किया जा सकता है और न ही इस आधार पर अभियोजन के केस को

अस्वीकार किया जा सकता है। **बलवीर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1995 एस0सी0सी0 क्रिमिनल 951** के मामले में बीस घंटे का विलम्ब प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज कराने में हो गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि यह विलम्ब कोई प्रतिकूल प्रभाव अभियोजन केस पर नहीं पडता है। प्रश्नगत मामले में उपरोक्त विधि व्यवस्था पूर्णरूप से लागू होती है। पत्रावली पर आये साक्ष्य एवं उक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिर्पोट अंकित कराने में जो भी विलम्ब हुआ है,वह मामले की परिस्थितियों क अनुसार हुआ है। जिसका युक्तियुक्त स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से दिया गया है।

20— अतः उपरोक्त के आधार पर न्यायालय बचाव पक्ष के इस तर्क में बल नही पाता है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाई गयी है जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी नहीं है। जबकि पत्रावली पर आये साक्ष्य एवं उक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिर्पोट अंकित कराने में जो भी विलम्ब हुआ है वह मामले की परिस्थितियों के अनुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने में विलम्ब कारित हुआ है, जिसका युक्तियुक्त स्पष्टीकरण अभियोजन पक्ष की ओर से दिया गया है।

21— उक्त सत्र परीक्षण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 307,420,413,414,467, 468,471 भा0दं0सं0 व अभियुक्त धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान के विरूद्ध धारा 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किया गया है । सर्वप्रथम यह देखना है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपो को अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्ष्य के माध्यम से युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है अथवा नहीं। इसके लिए विभिन्न **अवधार्य बिन्दु** का निर्धारित किया जाना आवश्यक है—

(1)— क्या कथित दिनांक, समय, स्थान पर अभियुक्तगण ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से तमंचा से फायर करके हमला कारित किया एवं धोखा देने के लिए एवं अवैध लाभ कमाने के आशय से मोटर साईकिल सं0 यू.पी0 23—132 जिसका पंजीयन नम्बर बदलकर जिसके कागजात अभियुक्तगण के पास नहीं थे जो लूट की बरामद हुई जिसे अभियुक्तगण बेचने हेतु ले जा रहे थे। उक्त मोटर सा. ईकिल के चोरी के मुकदमें दर्ज थे जिन्हें अभ्यासतः चोरी की मोटर साईकिल के समव्यहार करने का अपराध कारित किया और जिसे अभियुक्तगण लूट का जानते हुए अपने कब्जे में बनाये हुए थे उक्त मोटर साईकिल के पंजीयन नम्बर बदल कर कूटरचना करके उनके फर्जी कागजात तैयार करके इस आशय से किये कि उनको छल के प्रयोजन से असली के रूप में उपयोग में लाया जायेगा?

(2) क्या अभियुक्त धीरसिंह उर्फ धीरा व फुरकान से एक—एक अदद तमंचा देशी 315 बोर नाल में फंसा एक—एक खोखा कारतूस व जेब से दो—दो कारतूस जिन्दा

315 बोर बरामद हुआ ?

(3) क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक को युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

<u>22–निस्तारण अवधार्य बिन्दु संख्या–1:–</u>

अवधार्य बिन्दु संख्या–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या कथित दिनांक, समय, स्थान पर अभियुक्तगण ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से तमंचा से फायर करके हमला कारित किया एवं धोखा देने के लिए एवं अवैध लाभ कमाने के आशय से मोटर साईकिल सं0 यू.पी0 23–132 जिसका पंजीयन नम्बर बदलकर जिसके कागजात अभियुक्तगण के पास नहीं थे जो लूट की बरामद हुई जिसे अभियुक्तगण बेचने हेतु ले जा रहे थे। उक्त मोटर साईकिल के चोरी के मुकदमें दर्ज थे जिन्हें अभ्यासतः चोरी की मोटर साईकिल के समव्यहार करने का अपराध कारित किया और जिसे अभियुक्तगण लूट का जानते हुए अपने कब्जे में बनाये हुए थे उक्त मोटर साईकिल के पंजीयन नम्बर बदल कर कूटरचना करके उनके फर्जी कागजात तैयार करके इस आशय से किये कि उनको छल के प्रयोजन से असली के रूप में उपयोग में लाया जायेगा?

23– उपरोक्त अवधार्य बिन्दु के सम्बन्ध में साक्ष्य का विवेचन किया जाना आवश्यक है। **साक्षी पी0डब्लू0–1 थानाध्यक्ष नबाव सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक के प्रकाश में साक्ष्य दिया है। किन्तु इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह इस साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि** थाने से रवानगी करायी थी। जी0डी0 रवानगी पत्रावली पर नहीं है और ना ही आज साथ लेकर आया हॅू। थाने से लगभग 6 लोग चले थे। दरोगा जी सन्त कुमार, सत्यदेव, का0 दिनेश, का0 कौशल, एक का नाम याद नहीं है। हम सब लोग एक ही वाहन में थे। गाड़ी ड्राईवर विपिन चला रहा था। थाने से सील सर्वे मोहर साथ लेकर चले थे। सामान की लिखत पढत जी0डी0 में नहीं की थी। थाने से रात के 12.00बजे चले थे। तलाश वांछित अपराधी संदिग्ध व्यक्ति गश्त में चले थे। तलाश अभियुक्त वांछित का जी0डी0 में तस्करा नहीं किया था। थाने से शहर में घूमते हुए लगभग 2.00बजे के करीब कांठ रोड पर आये थे, रूके कही नहीं थे। किन लोगों से रात में मुलाकात हुई थी। याद नहीं है। कितने लोगों से हुई थी। यह भी याद नहीं है। थाने से हमें घूमते घूमते घटना स्थल पर पहुंचने में दो घण्टा लगे थे। थाने से घटना स्थल की दूरी 3 किमी है। रात अंधेरी थी उजाली थी याद नहीं है। मुल्जिमों को 25–30 कदम की दूरी से गाड़ी की रोशनी मं देखा लिया था। मुल्जिम 20–30 कदम भागे थे, जहॉ से देखा था वहॉ से पश्चिम दिशा को भागे थे। सारे मुल्जिम एक दिशा में भागे थे। हमने रूकने के लिए कहा था परन्तु नहीं रूके। दो मुल्जिमों को एक साथ पकड़

लिया था। किस मुल्जिम को किसने पकड़ा था। मुझे याद नहीं है लेकिन मैं देखकर बता सकता हूँ। एक मुल्जिम से दूसरे मुल्जिम की क्या दूरी होगी इस समय ध्यान नहीं है। पुलिस पार्टी पर किस प्रकार की कोई चोट नहीं आयी थी। पुलिस पार्टी ने कोई फायर नहीं किया था जबकि सरकारी असलाह साथ थे। घटना स्थल के आस पास खेत व बाग था। खेत किस चीज के थे याद नहीं है पब्लिक का कोई आदमी मौके पर नही आया था। घटना अचानक हुई थी रात का समय था इसलिये पब्लिक का आदमी नहीं था। फर्द उपनिरीक्षक सत्यदेव सिंह ने लिखी थी। माल मैंने सील किया था। नमूना मोहर पत्रावली पर नहीं आता है। फायर शुदा तमंचा एक्सपर्ट के लिए नहीं भेजा गया। दोनों तमंचों की बनावट एक जैसे प्रतीत होती है। फर्द बनाते व माल सील करने में लगभग 3 घण्टे लगे थे। फर्द टार्च की रोशनी में बनायी थी। टार्च किस कम्पनी की थी। फर्द में नहीं लिखा है। घटना स्थल के चारों तरफ खेत थे मोटर साईकिल चोरी की बतायी थी। लेकिन मेरे द्वारा तस्दीक नहीं हो पायी थी। बरामद शुदा मोटर साईकिल का नम्बर यू0पी0 23 –0132 था। कलर व कम्पनी का नाम नहीं पता। कलर व कम्पनी का हुलिया फर्द में लिखा है। थाने से चलकर थाने आने में लगभग 5 घंटे लगे थे। माल, माल खाने में दे दिया था और मुल्जिमों को थाना हवालात में दाखिल कर दिया था। जामा तलाशी आपस में ले ली गयी थी। कब और कहॉ ली थी, याद नहीं है। मुल्जिमों की जामा तलाशी ली थी किसने ली थी याद नहीं है। विवेचक ने मेरा बयान लिया था कब लिया था याद नहीं है।

इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–2 एच0सी0 490 सनोज कुमार द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्श क––2 एवं जी0डी0 कायमी की प्रति पर प्रदर्श–3 के रूप में साबित किया है। इस साक्षी द्वारा जिरह में यह कथन किया है कि मैं अमरोहा नगर में जून 2017 से 16 अगस्त 2019 तक सी0सी0 के पद पर रहा। वादी मुकदमा ने मुझे तहरीर लिखित दी दी। जी0डी0 व एफ0 आई0आर0 लिखने में करीब आधा घण्टा लगता है। जी0डी0 पहले लिखी थी। एफ0 आई0आर0 सुबह के समय करीब 5.00बजे लिखी थी। थाने पर उस समय प्रभारी निरीक्षक व अन्य पुलिस कर्मी मौजूद थे।

साक्षी पी0डब्लू0–3 निरीक्षक कान्ती प्रसाद शर्मा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में मामले की विवचना करते हुए अभियोजन प्रपत्र नक्शा नजरी पर प्रदर्श क 06 एवं दिनांक 22.12.2018 को मुकदमा अपराध संख्या 746/2018 धारा 3/25 Arms Act बनाम धीर सिंह उर्फ धीरा तथा मुकदमा अपराध सं० 747/2018 धारा 3/ 25 Arms Act बनाम फुरकान के विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट अमरोहा की अभियोग चलाने की अनुमति प्राप्त हुई जिन्हे क्रमशः से प्रदर्श 07 व 08 डाला गया। संकलित साक्ष्य के आधार पर मुकदमा अपराध सं० 746/2018 धारा 3/25 Arms Act बनाम धीर सिंह

उर्फ धीरा तथा मुकदमा अपराध सं० 747/2018 धारा 3/25 Arms Act बनाम फुरकान के विरूद्ध पर आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष प्रेषित किये गये जिन्हें जो प्रदर्श क–09 व प्रदर्श क–10 डाला गया। धारा 307, 413, 414,420, 467, 468, 471 IPC के आरोप पत्र को प्रदर्श क 11 के रूप में साबित किया है।

जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह बयान दिया है कि घटना के समय थाना अमरोहा नगर में तैनात था। मेरे द्वारा मुकदमा उपरोक्त में किसी भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नही की गयी। मेरे द्वारा केवल मुकदमा उपरोक्त में विवेचना की गयी। एफआईआर नामजद थी। मौके से वादी एसएचओ नवाब सिंह ने मोटर साइकिल के साथ दो अभियुक्त धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान को गिरफ्तार किया था इन्होने गिरफ्तारी के दौरान तीसरे व्यक्ति का नाम बताया। अभियुक्तगण से बरामद कारतूस व तमंचा मैने माल खाने से निकलवाकर जिला मजिस्ट्रेट महोदय को सील बंद अवस्था में अनुमती हेतु दिखाये थे। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। घटनास्थल की चौहद्दी मुझे याद है। नक्शा मेरे द्वारा बनाया गया है। घटनास्थल के उत्तर में धर्मकांटा है पूरब में रास्ता है दक्षिण में खेत है पश्चिम में बाग है। मैने पुलिसवालो/ गवाहन के बयान लिये थे। विवेचना में जनता के गवाह का कोई बयान अंकित नही किया गया था। किसी पुलिसवाले का कोई मेडिकल नही हुआ था। नवाब सिंह उस समय कोतवाली अमरोहा में प्रभारी निरीक्षक थे। मैं व नवाब सिंह एक ही बैच के थे। मुझे विवेचना प्रभारी निरीक्षक के आदेश अनुसार ही मिली थी। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण से बरामद तमंचे विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे थे या नही ये मुझे इस समय ध्यान नही है।

साक्षी पी0डब्लू0–4 उपनिरीक्षक सत्यदेव सिंह जो हमराह साक्षी है जिसके द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है किन्तु जिरह के बयान में यह कथन किया है कि मैं थाना अमरोहा नगर में वर्ष 2017 से 2020 तक उप नि0 के पद पर तैनात रहा । मैं मुल्जिमान को पहले से नहीं जानता था। थाने से हम पुलिसवाले वास्ते देखरेख शांति व्यवस्था व रोकथाम जुर्म जरायम व चैकिंग व गश्त में उक्त मुकदमे की घटना वाले दिन थानाक्षेत्र में मामूर थे। उस दिन एसएचओ नवाब सिहं, उप नि० सन्त कुमार, का० कौशल कुमार, का० विपिन कुमार और मैं स्वंय थाने की सरकारी गाडी में थानाक्षेत्र में थे। रात्री नावक्त होने के कारण घटना के समय हम पुलिसवालों को कोई व्यक्ति नही मिले थे। थाने से हम पुलिसवाले जी० डी में रवानगी कराके गये थे। जी0 डी आज मैं साथ लेकर नही आया हूँ और ना ही पत्रावली पर मौजूद है। घटना वाले दिन सरकारी गाडी का चालक मनोज कुमार था। हम लोग थाने से अपनी सरकारी किट अपने साथ लेकर चलते है। सरकारी किट में जो सामान रहता उसका उल्लेख जी० डी० में नहीं करते

है। थाने से हम पुलिसवाले रपट नं0 03 समय 12:08 बजे रवाना हुए थे। थाने से रवाना होने के बाद हम पुलिसवाले करीब 2:00 बजे काँठ रोड पर पहुँचे थे। हम गश्त रहे थे। उसी समय हम पुलिसवालों को तीन व्यक्ति एक मोटर साइकिल पर मजार के पास संदिग्ध अवस्था में दिखे थे तो हम पुलिसवालों ने उनकी टोका टाकी की थी। हम गश्त व चौकिंग दोनो कर रहे थे। रात्री का नावक्त होने के कारण हम
पुलिसवालो को पब्लिक के कोई लोग नही मिले थे। थाने से चल रहे थे जब तक हम घटनास्थल पर पहुँचे तो कितने मिलने जुलने वाले लोगो से मुलाकात हुई थी ये मुझे इस समय याद नहीं है। घटनास्थल से थाने की दूरी डेढ से दो किलोमीटर होगी। थाने से घटनास्थल तक पहुँचने में करीब दो घंटे लगे थे। रात्री का समय था अंधेरी रात थी या चांदनी रात थी ये मुझे ध्यान नही है। सरकारी गाडी की रोशनी में ही हमने मजार के पास मुल्जिम को देखा था। जहाँ से हम पुलिसवालों ने मुल्जिमान को देखा था उसके बीच की दूरी करीब 30–35 कदम थी। किलोमीटर की कोई दूरी नही थी। मुल्जिमान हम पुलिसवालो को देखकर मजार की तरफ भागने लगे थे। तीनो मुल्जिम पश्चिम दिशा मजार की ओर भागे थे। मुल्जिमान कितने कदम भागे थे ये मुझे इस समय ध्यान नही है। हमने मुल्जिमान को रूकने के लिए भी कहा था। फिर मुल्जिमान के द्वारा हम पुलिसवालो पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया था। मुल्जिमान द्वारा फायर अपने अपने तमंचों से किया गया था । उस समय हम पुलिसवाले प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त तौर तरीको से मुल्जिमान की तमंचे की फायर से बाल बाल बच गये थे। किसी के कोई चोट नहीं आयी थी। मुल्जिमान को हम पुलिसवालो के द्वारा तीनो को एक साथ नही पकडा था। मौके पर तो केवल अभियुक्त धीर सिंह उर्फ धीरा और फुरकान पकडे गये थे। अभियुक्त माहिर हुसैन मौके से अंधेरे व खडी फसल का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा था। अभियुक्त धीर सिंह उर्फ धीरा को उप नि० श्री संत कुमार व का० विपिन कुमार के द्वारा और अभियुक्त फुरकान मेरे व का० दिनेश कुमार के द्वारा मौके से गिरफ्तार किया गया था। हम पुलिसवालो ने अपने बचाव में इन मुल्जिमान पर कोई भी फायर नहीं किया था। मौके पर हम पुलिसवालो ने अपने को छुपते छुपाते एवं अपना अपना बचाव करते हुए मुल्जिमान धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान को त्वारित कार्यवाही करते हुए पकड लिया था इसी कारण हम पुलिसवालो द्वारा मुल्जिमान पर कोई फायर नही किया गया था। मुल्जिमान के गिरफ्तारी व बरामदगी के समय मौके पर जनता का कोई गवाह रात्री का नावक्त होने के कारण हम पुलिसवालो को नही मिल सका था। मौके पर फर्द प्रभारी निरीक्षक श्री नवाब सिंह के बोलने पर मेरे द्वारा तैयार की गयी थी। अभियुक्तगण से बरामद तमंचा व कारतूस को प्रभारी निरीक्षक नवाब सिंह द्वारा सील सर्वे मोहर किया गया था। फर्द मौके पर बिजली व टार्च की रोशनी में तैयार की गयी थी। हम पुलिसवालों ने मुल्जिमान गिरफ्तार करने से पहले एक दूसरे की जामा

तलाशी ली थी किसी के पास कोई नाजायज वस्तु नही थी। मुल्जिमान धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान से रुपये बरामद हुए थे । मुल्जिमान से बीडी, माचिस, सिगरेट आदि बरामद नही हुई थी । किस पुलिसवाले किस पुलिसवाले की जामा तलाशी ली ये मुझे इस समय याद नही है। विवेचक महोदय ने मेरे बयान लिया था तारीख मुझे याद नही है पर थाने में लिया था।

24— इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण के बयानों का विश्लेषण करने के उपरांत यह दर्शित होता है कि **साक्षी पी0डब्लू0—1 थानाध्यक्ष नबाव सिंह ने अपनी साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि तीन व्यक्ति एक मोटर साईकिल के साथ संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखायी दिये, शक होने पर हम लोगों ने गाड़ी से नीचे उतरकर जैसे ही टोका टाकी की तो एक व्यक्ति ने कहा कि माहिर भागो पुलिस आ गयी है और तीनो लोग मजार की तरफ भागने लगे जैसे हम लोगों ने इनका पीछा करना शुरू किया तो तभी इनके द्वारा पीछे मुड़कर हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर किये जिससे हम बाल—बाल बच गये। हम लागों ने साहस का परिचय देते हुए एक बदमाश को निरीक्षक संत कुमार व का0 विपिन कुमार द्वारा तथा दूसरे बदमाश को निरीक्षक सत्यदेव व का0 दिनेश द्वारा आवश्यक बल प्रयोग करके पकड़ लिया तथा तीसरे व्यक्ति का पीछा किया गया लेकिन अंधेरे में खड़ी फसल का फायदा उठाते हुए भागने में सफल रहा। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम धीर सिंह उर्फ धीरा पुत्र काशीराम निवासी मझरा पतेई खालसा थाना डिडौली जिला अमरोहा बताया जिसकी जामा तलाशी पर उसके द्वारा दाहिनी हाथ में पकड़ा हुआ एक अदद तमंचा 315 बोर तथा दाहिनी जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर मुताबिक फर्द बरामद हुआ और बायी जेब से 2300/—रूपये बरामद हुए। उपनिरीक्षक सत्यदेव व का0 दिनेश के द्वारा पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम फुरकान पुत्र यामीन निवासी ग्राम श्यामपुर थाना डिडौली जिला अमरोहा बताया जामा तलाशी से दाहिने हाथ से एक अदद तमंचा देशी 315 बोर तथा दाहिनी जेब से दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर मुताबिक फर्द बरामद हुए जब से कुल 2700/—रूपये बरामद हुए । दोनों बदमाशो से बरामद तमंचों को खोलकर सूघा गया तो उनमें से ताजे चले कारतूस की गंध जा रही थी। एक—एक खोखा कारतूस नाल में फंसे हुए थे। पकड़े गये दोनों व्यक्तियों से तीसरे भागे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो भागे हुए साथी का नाम माहिर हुसैन पुत्र साबिर निवासी मो0 ब्रहमपुरी थाना नूरपुर जिला बिजनौर बताया। मौके से बरामद मोटर साईकिल हीरो सुपर स्पैलेन्डर रंग काला जिस पर लाल व सफेद पटटी बनी थी। उसका निरीक्षण करने पर उस पर पीछे की तरफ यू0पी0 23—137 की नम्बर प्लेट लगी थी जिसका**

इंजन नम्बर व चैसिस नम्बर मुताबिक फर्द है। बरामद मोटर साईकिल के बारे में पूछने पर दोनों अभियुक्तो ने बताया कि यह मोटर साईकिल भागे साथ माहिर की है जो चोरी की है, बरामद तमंचे व मोटर साईकिल का लाईसेन्स तलब किये गये तो दिखाने में कासिर रहे। बरामद तमंचे के बारे में गिरफ्तार अभियुक्त माहिर ने बताया कि इसी तमंचे से उसने अपने साथी माहिर व उसके साथी भूरा के साथ मिलकर थाना असमौली क्षेत्र में दिनाक 01.09.2018 को एक पशु व्यापारी की गोली मारकर हत्या की थी उस घटना में यही मोटर साईकिल इस्तेमाल की थी। इसी मोटर साईकिल से उसने व उसके साथी धीर सिंह तथा माहिर ने दिनांक 11.11.2018 को ढवारसी रोड पर अपना तमंचा दिखाकर मोटर साईकिल लूट ली थी। उस घटना में मेरे पास यही तमंचा था। गिरफ्तार अभियुक्त धीर सिंह ने बताया कि दिनांक 11.11. 2018 को ढबारसी रोड पर उसने अपने साथी माहिर व फुरकान के साथ मिलकर तमंचा दिखाकर एक मोटर साईकिल लूट ली थी। उस घटना में भी मेरे पास यही तमंचा था। उस घटना में जिस मोटर साईकिल को लूटा गया था वह माहिर लेकर चला गया था और उन्हें अपनी साथी भूरा की मोटर साईकिल दे दी थी जो उस दिन उनसे बरामद हुई थी। साक्षी पी0डब्लू0–3 निरीक्षक कान्ती प्रसाद शर्मा अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि दिनांक 15.12.2018 को अभियुक्त माहिर हुसैन जिला जेल मुरादाबाद से तलब होकर माननीय न्यायालय उपस्थित आया। अभियुक्त का रिमांड स्वीकृत कराया गया । **अभियुक्त द्वारा जुर्म इकबाल किया गया तथा घटना में प्रयुक्त तमंचा असमौली पुलिस द्वारा बरामद करना बताया।** दिनांक 22.12.2018 को एआरटीओ अमरोहा की रिपोर्ट प्राप्त कर अवलोकन कर संलग्न सी०डी की गयी । **पंजीकृत मोटर साइकिल का सही नम्बर UP20AQ9579 पाया गया तथा डीसीआरबी से मोटर साइकिल चोरी की रिपोर्ट प्राप्त कर अवलोकन कर संलग्न सी०डी की गयी। दिनांक 22.12.2018 को मुकदमा अपराध संख्या 746/2018 धारा 3/25 Arms Act बनाम धीर सिंह उर्फ धीरा तथा मुकदमा अपराध सं० 747/2018 धारा 3/ 25 Arms Act बनाम फुरकान के विरूद्ध जिला मजिस्ट्रेट अमरोहा की अभियोग चलाने की अनुमति प्राप्त हुई। अभियुक्तगण द्वारा मोटर साइकिल की चोरी कर उसकी नम्बर प्लेट बदलकर कूट रचना कर धोका देने के उद्देश्य से की गयी। अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग में धारा 420, 467, 468, 471 IPC की वृद्धि की गयी।** बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस साक्षी से जिरह की गयी तो जिरह में इस साक्षी ने यह बयान दिया है कि **एफआईआर नामजद थी। मौके से वादी एसएचओ नवाब सिंह ने मोटर साइकिल के साथ दो अभियुक्त धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान को गिरफ्तार किया था इन्होने गिरफ्तारी के दौरान तीसरे व्यक्ति का नाम बताया। अभियुक्तगण से**

बरामद कारतूस व तमंचा मैने माल खाने से निकलवाकर जिला मजिस्ट्रेट महोदय को सील बंद अवस्था में अनुमती हेतु दिखाये थे। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया था। घटनास्थल की चौहद्दी मुझे याद है। नक्शा मेरे द्वारा बनाया गया है। घटनास्थल के उत्तर में धर्मकांटा है पूरब में रास्ता है दक्षिण में खेत है पश्चिम में बाग है। मैने पुलिसवालो/ गवाहन के बयान लिये थे। विवेचना में जनता के गवाह का कोई बयान अंकित नही किया गया था। किसी पुलिसवाले का कोई मेडिकल नही हुआ था। नवाब सिंह उस समय कोतवाली अमरोहा में प्रभारी निरीक्षक थे। मैं व नवाब सिंह एक ही बैच के थे। मुझे विवेचना प्रभारी निरीक्षक के आदेश अनुसार ही मिली थी। मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण से बरामद तमंचे विधि विज्ञान प्रयोगशाला को भेजे थे या नही ये मुझे इस समय ध्यान नही है। साक्षी पी0डब्लू0–4 उपनिरीक्षक सत्यदेव सिंह द्वारा अपनी साक्ष्य में कथन किया गया है कि उप0 नि० श्री सन्त कुमार एव का० विपिन कुमार द्वारा पकडे गये व्यक्ति का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो इसने अपना नाम धीर सिंह उर्फ धीरा बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो दाहिने हाथ में पकडा एक अदद तंमचा 315 बोर बरामद हुआ जिसका हुलिया फर्द मुताबिक था। बरामद तमंचे को सावधानी पूर्वक खोलकर देखा तो बैरल के अन्दर 315 बोर का कारतूस फसा था । नाल को प्रभारी निरीक्षक द्वारा सूंघकर देखा व हमराहीयान को सुंघाया तो ताजे चले बारुद की गंध आ रही थी। जिसे तमचे को मय खोखा कारतूस नाल में फसा उसी प्रकार बंद कर दिया गया। जामा तलाशी में पहने लोवर की दाहिने जेब से 02 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर जिसकी पैंदी पर 8 MM KF लिखा था एवं बायी जेब से 2300/–रु0 जिसमे 3 नोट 500 के एवं 8 नोट 100 के बरामद हुए। मेरे द्वारा एवं कान्स. दिनेश के द्वारा पकडे गये व्यक्ति कानाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो इसने अपना नाम फुरकान बताया। जामा तलाशी मे दाहिने हाथ से एक अदद तमचा देशी 315 बोर जिसका हुलिया फर्द मुताबिक था। बरामद हुए तमंचे को सावधानी पूर्वक खोला तो एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर नाल में फसा था जिसकी नाल को प्रभारी निरीक्षक एव हमराहीयान द्वारा सूंघा तो ताजे चले बारुद की गंध आ रही थी। जामा तलाशी में पहनी जीन्स की पैंट की दाहिनी जेब से 02 अदद जिंदा कारतूस एवं उसी जेब कुल 2700/– रुपये एक नोट 2000/–रु. व 7 नोट 100 के बरामद हुए । पकडे गये दोनो व्यक्तियो से तीसरे भागे व्यक्ति का नाम पता पूछा तो भागे साथी का नाम माहिर हुसैन पुत्र साबिर निवासी मौ० ब्रहमपुरी थाना नुरपुर जिला बिजनौर बताया। मौके से बरामद मोटर साईकिल हीरो सुपर स्पेलण्डर रंग काला जिस पर लाल एवं सफेद पटटी बनी थी का निरीक्षण किया तो उस पर पीछे नम्बर प्लेट पर UP 23 132 रजिस्ट्रेशन नम्बर अंकित था।

जिसका इंजन नम्बर व चैसिस नं० फर्द मुताबिक था। बरामद मोटर साईकिल के बारे में पूछा गया तो बताया कि यह मोटर साईकिल भागे साथी माहिर की है जो चोरी की है बरामद तमंचे एवं मोटर साईकिल का लाइसेंस/ कागजात तलब किये तो दिखाने में कासिर रहे और माफी मांगने लगे। बरामद तमंचे के बारे में गिरफ्तार फुरकान ने बताया कि इसी तमंचे से मैने अपने साथी माहिर व उसके साथी भूरा के साथ मिलकर थाना असमौली क्षेत्र मे दिनांक 01–09–2018 को एक पशु व्यापारी को गोली मारी थी जिससे वह मौके पर ही मर गया था इस घटना में भी यही मोटर साईकिल इस्तेमाल की थी और इसी मोटर साईकिल से मैने व मेरे साथी धीर सिंह तथा माहिर ने दिनांक 11–11–2018 को ढबारसी रोड पर अपना तमंचा दिखाकर मोटर साईकिल लूट ली थी इस घटना में भी मेरे पास यही तमंचा था।

25– चूँकि साक्षीगण के बयानों के विश्लेषण से यह दर्शित होता है कि अभियुक्तगण से चोरी की मोटर साईकिल बरामद की गयी थी जिसकी नम्बर प्लेट बदलकर प्रयोग कर रहे थे जिसे अभियुक्तगण द्वारा चोरी करना स्वीकार किया गया है। अभियुक्तगण द्वारा चोरी की मोटर साईकिल जिसके नम्बर प्लेट बदलकर प्रयोग कर रहे है उसको छल के प्रयोजन से उपयोग में ला रहे थे। कपटपूर्वक या बेईमानी से उसको असली के रूप में उपयोग में लाया जा रहा था। इसलिये अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 420, 468, 471 भा0दं0सं0 का आरोप युक्ति युक्त सन्देह से परे अभियोजन पक्ष साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है।

अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा एवं फुरकान द्वारा जिन तमंचों से पुलिस पार्टी पर फायर करना बताया है और अभियुक्तगण को मौके पर गिरफ्तार किया गया है जिनके द्वारा घटना स्थल पर पर पुलिस पार्टी को जान से मारने की नीयत से फायर करना बताया गया है परन्तु किसी भी पुलिस कर्मी को कोई चोट नहीं आयी है और ना ही पुलिस पार्टी की ओर से कोई फायर अभियुक्तगण पर किया गया है। जान से मारने की नीयत के सम्बन्ध में यह वर्णित कियागया है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में किया जायेगा कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या का दोषी होगा। जहॉ तक जान से मारने की नीयत से फायर करने का सम्बन्ध में किसी अभियुक्त के द्वारा किस पुलिस कर्मी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया है, यह साक्ष्य से साबित नहीं किया गया मात्र यह कहा गया है कि भागों पुलिस आ गयी और पीछे मुड़कर हम पुलिस वालों पर जान से मारने की नीयत से फायर किये। किस दिशा में किये किस पर किये तथा शरीर के किस पार्ट पर निशाना लगाकर फायर किया व कितने फायर किये गये यह साबित नहीं किया गया है। मौके से

पकड़े गये अभियुक्तगण से दो अदद तमंचे व चार अदद जिन्दा कारतूस व दो अदद खोखा कारतूस की बरामदगी दिखाई गयी जबकि मौके पर छः लोगों की उपस्थिति की फर्द बनाई गयी है जिससे यह साबित नहीं होता है कि जान से मारने की नीयत अभियुक्तगण के द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किये गये है और ऐसा सम्भव नहीं था कि फायर किये जाने पर किसी भी पुलिस पार्टी पर कोई भी फायर की चोट व छर्रो आदि की चोट न आये।

26— अभियोजन की ओर से अभियुक्तगण से बरामदशुदा मोटर साईकिल के सम्बन्ध में उक्त मोटर साईकिल के वाहन स्वामी से अभियुक्तगण की शिनाख्त नही करायी गयी है और अभियुक्तगण के द्वारा ही उक्त मोटर साईकिल चोरी की गयी है और वही मोटर साईकिल अभियुक्तगण से ही मौके से बरामद की गयी है तथा कथित बरामद शुदा मोटर साईकिल को जिस अपराध से कनेक्ट किया गया उसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं की गयी है

27— अभ्यासतः से अभिप्रायः यह है कि वह चुराई हुई सम्पत्ति को प्रायः प्राप्त करता हो या निरन्तर ऐसी सम्पत्ति का व्यवहार करता हो। सम्पत्ति भिन्न—भिन्न अवसरों व दिनांको पर प्राप्त की गयी हो, व्यवहार केवल एक कार्य को नहीं कहा जा सकता है।

अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण धीर सिह उर्फ धीरा एवं फुरकान का कोई पूर्व अपराधिक इतिहास भी प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा इस सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी कि अभियुक्तगण पूर्व में दोष सिद्ध किये गये हो। साक्षीगण के बयानों से मात्र एक मोटर साईकिल चोरी की बरामद होना कहा गया है किस व्यक्ति को मोटर साईकिल बेचने ले जा रहे थे ऐसा भी कोई व्यक्ति नही मिला और ना ही उसको साक्षी बनाया गया है जिस अभियुक्त द्वारा मोटर साईकिल चोरी करना बताया है वह मौके से भागा जाना बताया गया है। इसलिये अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षीगण के बयानों से स्पष्ट होता कि बरामद मोटर साईकिल अभियुक्तगण द्वारा चोरी करने एवं उससे बरामद होने तथा अभ्यासतः व्यापार करना साबित नहीं होता है।

माननीय उच्च न्यायालय उड़ीसा की **विधि व्यवस्था के0जी0 चौधरी बनाम स्टेट 2003 सी.आर.एल.जे. 4050 उड़ीसा** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 411 एवं 413 भा0दं0सं0 के अपराध में यही भिन्नता है कि धारा 413 भा0दं0सं0 के अपराध के लिये अभियुक्त द्वारा चोरी की गयी सम्पत्ति के सम्बन्ध में आद्यतन व्यवसाय (डीलिंग) करता हो और जब तक कि कोई मुल्जिम धारा 411 भा0दं0सं0 दंड संहित के अपराध में पूर्व में दोषसिद्ध न किया गया हो, तो उसपर धारा 413 भा0

दं0सं0 का आरोप नहीं लगाया जा सकता है। जहॉ तक धारा 414 भा0दं0स0 के सम्बन्ध में चुराई हुई सम्पत्ति छिपाने में सहायता करना— जो कोई ऐसी सम्पत्ति को छिपाने में, या व्ययनित करने में, या इधर उधर करने में स्वेच्छया सहायता करेगा, जिसके विषय में वह यह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है कि वह चुराई हुई सम्पत्ति है। इसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण से बरामद मोटर साईकिल किसी भी मुकदमें से कनेक्ट नहीं की गयी और ना ही ऐसा साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण चुराई हुई सम्पत्ति को छिपाने में व व्ययनित करने में या इधर उधर करने में सहायता करते है। इससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त सम्पत्ति को चोरी का जानते हुए प्राप्त कर अभ्यासतः कार्य किया गया हो, अभियुक्तगण चुराई हुई सम्पत्ति को छिपाने में व व्यनीत करने में या इधर उधर करने में सहायता करते है। अभियोजन की ओर से उक्त तथ्यों को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के माध्यम से सन्देह से परे साबित नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 467,307,413,414 भा0. दं0सं0 का आरोप युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित नही हो पाया है।

28— जहॉ तक अभियुक्त माहिर हुसैन का अपराध में संलिप्त होने का सम्बन्ध है। चूॅकि अभियुक्त माहिर हुसैन को मौके से भागा हुआ दर्शित किया गया है। सह अभियुक्तगण के बयानों के आधार पर अभियुक्त माहिर हुसैन का नाम प्रकाश में आना बताया गया है। अभियुक्त माहिर हुसैन अन्य अभियोग में जेल में निरूद्ध होने के कारण जेल से तलब कर उसके बयान के आधार पर उसकी घटना में संलिप्तता दर्शित की गयी है और जिस मोटर साईकिल को अभियुक्त माहिर द्वारा चोरी करना बताया है उसको किसी अपराध से कनेक्ट करने के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है और ना ही यह साबित किया गया कि उक्त मोटर साईकिल अभियुक्त माहिर हुसैन द्वारा चोरी की गयी और कहा से चोरी की गयी है व अभियुक्त माहिर हुसैन को कथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण के साथ कथित घटना कारित करने में सम्मिलित था और अभियुक्त माहिर हुसैन के द्वारा ही पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत फायर किया गया था व अभियुक्त माहिर चोरी की मोटर साईकिल पर अभियुक्तगण के साथ मिलकर फर्जी नम्बर प्लेट बदलकर अभ्यास्तः चोरी का कृत्य करता है व चुराई गयी सम्पत्ति को छिपाने में सहायता व व्ययनित करता है इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त माहिर हुसैन के विरूद्ध अभियोजन की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से विरचित आरोप युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित किया जाना दर्शित नहीं होता है।

<u>29—अवधार्य बिन्दु संख्या—2:—</u>

अवधार्य बिन्द सं0 2 इस आशय का विरचित किया गया है

कि क्या अभियुक्त धीरसिंह उर्फ धीरा व फुरकान से एक–एक अदद तमंचा देशी 315 बोर नाल में फंसा एक–एक खोखा कारतूस व जेब से दो–दो कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुआ ?

30– अभियोजन की ओर से अपनी बहस में यह तर्क दिया गया है कि कथित दिनांक समय व स्थान पर अभियुक्तगण को मौके पर पकड़े जाने पर अभियुक्तगण से एक मोटर साईकिल यू0पी023–13 बरामद हुए एवं अभियुक्त धीरसिंह उर्फ धीरा व फुरकान से एक–एक अदद तमंचा देशी 315 बोर नाल में फंसा एक–एक खोखा कारतूस व जेब से दो–दो कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद हुए थे जिनकी फर्द बनायी गयी थी और माल मुकदमा तमंचा व कारतूस को सर्वे सील मोहर किया गया था व अभियोजन साक्षीगण के द्वारा अभियुक्तगण से बरामद तमंचे व कारतूस की बरामदगी को साबित किया गया है।

31– जबकि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से अपनी बहस में यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण से जो संयुक्त रूप से फर्द बरामदगी तमंचे कारतूस व मोटर साईकिल की दर्शित की गयी है। पुलिस द्वारा थाने पर खडी मोटर साईकिल को व तमंचे के केस को फर्जी रूप से अभियुक्त पर प्लांट कर दिया गया है। जबकि उनके द्वारा कोई भी अपराध कारित नहीं किया गया है। फर्जी बरामदगी दर्शायी है। रंजिशन पुलिस द्वारा झूठा मुकदमा अभियुक्तगण पर लगा दिया गया है अभियुक्तगण गरीब व मजदूर पेशा व्यक्ति है उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है जैसा कि अभियोजन की ओर से कपोल कल्पित कहानी बनाकर दिखाया गया है तथा अभियुक्तगण निर्दोष है।

32– उपरोक्त तर्को के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि पत्रावली पर अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–3 निरीक्षक कान्ती प्रसाद शर्मा की साक्ष्य का अवलोकन किया गया इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि जिला मजिस्ट्रेट से अभियुक्तगण के विरूद्ध आर्म्स एक्ट का अभियोग चलाने की अनुमति प्राप्त की गयी। अभियुक्त धीर सिंह उर्फ धीरा की अभियोग चलाने की अनुमति पर प्रदर्श क–7 व अभियुक्त फुरकान के विरूद्ध अभियोजन चलाने की अनुमति पर प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया गया है। अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने पर उसके विरूद्ध आरोप पत्र धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत प्रेषित किया गया। अभियोजन स्वीकृति को नियमानुसार साबित किया गया है। अभियुक्तगण धीर सिहं उर्फ धीरा एवं फुरकान से एक–एक अदद तमंचा देशी 315 बोर नाल में फंसा एक–एक खोखा कारतूस व जेब से दो–दो कारतूस जिन्दा 315 बोर की बरामदगी को साक्षी पी0डब्लू0–1 थानाध्यक्ष

नबाव सिंह, पी0डब्लू0–4 उपनिरीक्षक सत्यदेव सिंह द्वारा अपनी साक्ष्य से साबित किया है। एक अभियुक्त माहिर को मौके से भागना बताया गया है। अभियुक्तगण को मौके पर गिरफ्तार किया गया तथा मौके पर जो फर्द बरामदगी बनाना दर्शायी गयी है उसमें एक अदद मोटर साईकिल चोरी/लूट की एवं अभियुक्तगण धीरसिंह उर्फ धीरा व फुरकान से एक–एक अदद तमंचा देशी 315 बोर नाल में फंसा एक–एक खोखा कारतूस व जेब से दो–दो कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामद होना दर्शाया गया है। अभियक्तगण से मौके पर बरामद तमंचे व कारतूस को सर्वसील मोहर करके नमूना मोहर बनाया गया था। अभियुक्तगण से जो बरामदगी मौके से दर्शाई गयी है वह साक्ष्य के आधार पर पूर्णतया साबित है।

33– उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह निष्कर्ष निकालता है कि अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा एवं अभियुक्त फुरकान से एक–एक अदद तमंचा देशी 315 बोर नाल में फंसा एक–एक खोखा कारतूस व जेब से दो–दो कारतूस जिन्दा 315 बोर मौके से बरामद किया गया। अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा एवं फुरकान के विरूद्ध एक–एक अदद तमंचा 315बोर नाल में फंसा एक–एक खोखा कारतूस व जेब से दो–दो कारतूस जिन्दा 315 बोर बरामदगी को सन्देह से परे साबित करने पूर्ण सफल रहा है।

<u>34–अवधार्य बिन्दु सं0–3 :–</u>

अवधार्य बिन्दु सं0–3 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय व मौखिक साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक को युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

35– उपरोक्त अवधार्य बिन्दुओं के निष्कर्ष से यह साबित हो चुका है कि पत्रावली पर उपलबध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा एवं फुरकान के विरूद्ध धारा 420,468,471भा0दं0सं0 एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम का आरोप युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित हो चुका है तथा अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा एवं फुरकान के विरूद्ध धारा 467,307,413,414 भा0. दं0सं0 का आरोप युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करने में अभियोजन पक्ष असफल रहा है।

36– अभियुक्त माहिर हुसैन का अपराध में संलिप्त होने का सम्बन्ध है। चूँकि अभियुक्त माहिर हुसैन को मौके से भागा हुआ दर्शित किया गया है। सह अभियुक्तगण के बयानों के आधार पर अभियुक्त माहिर हुसैन का नाम प्रकाश में आना बताया गया है। अभियुक्त माहिर हुसैन अन्य अभियोग में जेल में निरूद्ध होने के

कारण जेल से तलब कर उसके बयान के आधार पर उसकी घटना में संलिप्तता दर्शित की गयी है और जिस मोटर साईकिल को अभियुक्त माहिर द्वारा चोरी करना बताया है उसको किसी अपराध से कनेक्ट करने के सम्बन्ध में अभियोजन द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है और ना ही यह साबित किया गया कि उक्त मोटर साईकिल अभियुक्त माहिर हुसैन द्वारा चोरी की गयी और कहा से चोरी की गयी है व अभियुक्त माहिर हुसैन को कथित दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण के साथ कथित घटना कारित करने में सम्मिलित था और अभियुक्त माहिर हुसैन के द्वारा ही पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत फायर किया गया था व अभियुक्त माहिर चोरी की मोटर साईकिल पर अभियुक्तगण के साथ मिलकर फर्जी नम्बर प्लेट बदलकर अभ्यास्तः चोरी का कृत्य करता है व चुराई गयी सम्पत्ति को छिपाने में सहायता व व्ययनित करता है इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्त माहिर हुसैन के विरूद्ध अभियोजन की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से विरचित आरोप युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित किया जाना दर्शित नहीं होता है

37— उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियुक्तगण धीरसिंह उर्फ धीरा एवं फुरकान के विरूद्ध धारा 307,467,413,414 भा0दं0सं0 के आरोप युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित नहीं होते है। अतः अभियुक्तगण अभियुक्तगण धीरसिंह उर्फ धीरा एवं फुरकान धारा 307,467,413,414 भा0. दं0सं0 के आरोप से दोष मुक्त किये जाने योग्य है तथा अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान के विरूद्ध धारा 420,468,471 भा0दं0सं0 एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित होते है, अतः अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान के विरूद्ध धारा 420,468,471 भा0. दं0सं0 एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोप से दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या 29 सन 2019 अ0सं0 745 सन 2018 सरकार बनाम माहिर हुसैन आदि थाना अमरोहा नगर के अन्तर्गत अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान के विरूद्ध धारा 420,468,471 भा0दं0सं0 के आरोप से दोषसिद्ध किया जाता है तथा अभियुक्तगण अभियुक्तगण धीरसिंह उर्फ धीरा एवं फुरकान धारा 307,467,413,414 भा0दं0सं0 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या 30 सन 2019 अ0सं0 746 सन 2018 सरकार बनाम धीर सिंह उर्फ धीरा थाना अमरोहा नगर के अन्तर्गत अभियुक्त धीर सिंह उर्फ

धीरा को धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दोष सिद्ध किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या 31 सन 2019 अ0सं0 747 सन 2018 सरकार बनाम फुरकान थाना अमरोहा नगर के अन्तर्गत अभियुक्त फुरकान को धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत दोष सिद्ध किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या 29 सन 2019 अ0सं0 745 सन 2018 सरकार बनाम माहिर हुसैन आदि थाना अमरोहा नगर के अन्तर्गत अभियुक्त माहिर हुसैन को धारा 307,413,414,420,467,468,471 भा0द0सं0 के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है उसके व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं जमानतनामें निरस्त करते हुए जमानतियों को जमानत दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान जिला कारागार से न्यायालय के समक्ष हाजिर लाये गये तथा वे न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है। उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन मामलों में वे जेल में निरूद्ध है। पत्रावली दंड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु मध्यावकाश उपरांत पेश हो।

दिनांक–30.06.2026 **(शाकिर हसन)**

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–1
अमरोहा।
आई0डी0 नं0–यू0पी0–2416

30.06.2026

38– मध्यावकाश उपरांत पत्रावली दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत हुई।

39– दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया।

40– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण का कथन है कि अभियुक्तगण गरीब है, अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है। अभियुक्तगण का आजीविका का कोई माकूल साधन नहीं है तथा अभियुक्तगण बाल बच्चों वाले व्यक्ति है। अभियुक्तगण को कम से कम सजा से दण्डित करने की प्रार्थना की गई।

41– विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौ0) श्री अमित कुमार द्वारा कहा गया है कि अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर अपराध होने के कारण उन्हें कठोरतम सजा से दण्डित किया जावे।

42– इस प्रकार उभय पक्ष को सुनने एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण द्वारा किये गये अपराध को दृष्टिगत रखते हुए

अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा एवं फुरकान को निम्न दण्डादेश पारित किये जाने से न्याय उद्देश्य की पूर्ति होगी।

<u>दण्डादेश</u>

सत्र परीक्षण संख्या 29 सन 2019 अ0सं0 745 सन 2018 सरकार बनाम माहिर हुसैन आदि थाना अमरोहा नगर के मामले में अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान को धारा 420 भा0द0सं0 के अन्तर्गत पांच–पांच वर्ष के कारावास एवं मुब0 2000–2000/–रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर 3–3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान को धारा 468 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत पांच–पांच वर्ष के कारावास एवं मुब0 2000–2000/–रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर 3–3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

अभियुक्तगण धीर सिंह उर्फ धीरा व फुरकान को धारा 471 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दो–दो वर्ष के कारावास एवं मुब0 1000–1000/–रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर 1–1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

सत्र परीक्षण संख्या 30 सन 2019 अ0सं0 746 सन 2018 सरकार बनाम धीर सिंह उर्फ धीरा थाना अमरोहा नगर के अन्तर्गत अभियुक्त धीर सिंह उर्फ धीरा को धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत तीन वर्ष के कारावास एवं 1500/–रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

सत्र परीक्षण संख्या 31 सन 2019 अ0सं0 747 सन 2018 सरकार बनाम फुरकान थाना अमरोहा नगर के अन्तर्गत अभियुक्त फुरकान को धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत तीन वर्ष के कारावास एवं 1500/–रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है, अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

उपरोक्त सभी सजायें साथ साथ चलेगी। अभियुक्तगण द्वारा इन प्रकरण में इससे पूर्व जेल में बितायी गयी अवधि सजा में समायोजित की जायेगी।

अभियुक्तगण का सजायाबी वारंट बनाकर उन्हें सजा भुगतने हेतु सम्बंधित जिला कारागार प्रेषित किया जावे।

बाद मियाद अपील बरामद माल मुकदमा नियमानुसार निस्तारित किया जाये। इस निर्णय की प्रतिलिपि निःशुल्क अभियुक्तगण को प्रदत्त की जाये।

अभियुक्त माहिर हुसैन द्वारा धारा 437ए दं0प्र0सं0 के अधीन मुव0 50,000/—रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि के दो प्रतिभू इस आशय से दाखिल करने पर यदि इस निर्णय के विरूद्ध कोई अपील होती है तो उस अपील के नोटिस प्राप्त होने पर अभियुक्त स्वतः अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। उक्त बन्धपत्र निर्णय की तिथि से 6 माह तक प्रभावी होगें।

निर्णय की एक—एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या 30 सन 2019 अ0सं0 746 सन 2018 धारा 3/25 आयुध अधिनियम सरकार बनाम धीर सिंह उर्फ धीरा व सत्र परीक्षण सं0 31 सन 2019 अ0सं0 747 सन 2018 धारा 3/25 आयुध अधिनियम सरकार बनाम फुरकान की पत्रावली पर रखी जाए।

दिनांक 30.06.2026 **(शाकिर हसन)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश—प्रथम,
अमरोहा।
आई0डी0 नं0—यू0पी0—2416

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांक 30.06.2026 **(शाकिर हसन)**
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश—प्रथम,
अमरोहा।
आई0डी0 नं0—यू0पी0—2416